OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT DEGREE COLLEGE SHAHPURA

E-Mail id: - hegcshahdin@mp.gov.in
Website:-www.gdcshahpura.in

Policy Document for E- Governance

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 401 /122/आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 11/06/2020

प्रति,

जिला कलेक्टर,
समस्त जिला मध्यप्रदेश।

विषय– कोविड–19 के संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में सहयोग बाबत्।

संदर्भ– (1) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 311/67/2020/38/सीसी, भोपाल दिनांक 28.05.2020
(2) कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन,भोपाल का पत्र कमांक 393/118/आउशि/शा. 5 'अ'/2020, भोपाल,दिनांक 01.06.2020।
(3) माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.06.2020

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित निर्देशों तथा माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.06.2020 के परिपालन में दिनांक 29 जून से आरम्भ होकर 31 जुलाई 2020 तक विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संचालन हेतु महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों पर कोविड–19 की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था के साथ आयोजित किये जाने के निर्देश है।

1. जिले के क्षेत्राधिकार में यदि किसी परीक्षा केन्द्र को कोविड–19 हेतु क्वारेंटिन सेंटर बनाया गया है और यदि ऐसे भवनो को परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाना संभव न हो तो किसी अन्य भवन को परीक्षा केन्द्र हेतु चिन्हित कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. परीक्षा संचालन के दौरान प्रतिदिन प्रत्येक पाली की परीक्षा समाप्ति के पश्चात् सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्र को सेनेटाईज किया जाना है। अतः स्थानीय स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका आदि के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था कर सहयोग अपेक्षित है।

3. परीक्षा केन्द्र पर कोविड–19 हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन सुनिश्चित कराने एवं परीक्षा केन्द्र पर अनावश्यक रूप से छात्रों के समूह एकत्रित न हो इस हेतु स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग अपेक्षित होगा।

4. परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालय द्वारा तत्काल चिकित्सक, एम्बुलेन्स आदि सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा अधिकारी से सहयोग अपेक्षित होगा।

अतः उपरोक्तानुसार स्थानीय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सहयोग अपेक्षित है।

(मुकेश शुक्ल)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 402/122/आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 11/06/2020

प्रतिलिपि–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
4. निज सहायक, संभाग आयुक्त समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
6. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, भोपाल।
7. प्राचार्य, समस्त शास./स्वशासी/अनु. प्राप्त अशा./अशा. महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
8. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आई.टी.सेल) उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

IQAC Coordinator

प्राचार्य
शासकीय स्नातक महाविद्यालय
शहपुरा जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक: 351 / 118 / आउशि / शा–5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 01 / 06 / 2020

प्रति,

1. कुलसचिव,समस्त विश्वविद्यालय,म.प्र.
2. प्राचार्य, समस्त शास. / अनु.प्राप्त अशास. / आशासकीय महावि. म.प्र.

विषय: विश्वविद्यालयीन परीक्षा के संदर्भ में छात्र–छात्राओं की जानकारी उपलब्ध कराने विषयक ।

संदर्भ:–1. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क. 311 / 67 / 2020 / 38 / सी.सी. भोपाल दिनांक 28 / 05 / 2020

2. प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग की जूम विड़ियों कॉन्फ्रेसिंग दिनांक 02 / 05 / 20

—0—

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जारी निर्देशो के तारतम्य में सत्र 2019–20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षा में शामिल हो रहे स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों की यथास्थिति (लोकेशन) से अवगत होने के लिए अंकित की गई लिंक **"लॉकडाउन में परीक्षार्थियों के वर्तमान निवास की स्थिति" (दिनांक 29.06.2020 की स्थिति में)** के माध्यम से परीक्षार्थियों द्वारा दिनांक 08.06.2020 तक जानकारी अद्यतन किया जाना है।

2. स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त नियमित तथा अमहाविद्यालयीन (प्रायवेट) परीक्षार्थियों को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा **एस.एम.एस.** प्रेषित किया जा रहा है।

3. स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त के परीक्षार्थियों हेतु जारी लिंक उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल, ई–प्रवेश पोर्टल तथा समस्त विश्वविद्यालयों के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

तदनुसार समस्त परीक्षार्थियों को संबंधित जानकारी अवगत कराना सुनिश्चित् करेंगे।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित.)

01/06/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक 352 / 118 / आउशि / शा.5'अ' / 2020 भोपाल दिनांक 01 / 06 / 2020

प्रतिलिपि:–

1. निज सहायक,प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल(म.प्र.)
2. निज सहायक,आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल मध्यप्रदेश ।
3. निज सहायक कुलपति,समस्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश ।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश ।
5. कार्यपालक अधिकारी, एम पी ऑनलाईन कार्यालय, डी. बी. मॉल, भोपाल।
6. वि.क.अ.उच्च शिक्षा (आई.टी.सेल.) भोपाल की ओर विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

———की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
(भोपाल, फोन नं. 0755—2557457)
ई—मेलः spdmpwb@gmail.com

क्रमांक /2484/वि.बैं.परि./2019 भोंपाल, दिनांक 31/12/2019

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय (संलग्न सूची अनुसार),
मध्यप्रदेश।

विषयः— विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत नैक के संबंध में।
संदर्भ— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2291/वि.बैं.परि/2019 दिनांक 27.11.2019।

—00—

विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत प्रदेश के सभी महाविद्यालयों द्वारा कॉलेज प्रोफाईल बनाकर Online दर्ज किया गया था जिसमें 155 महाविद्यालयो मे से कुछ महाविद्यालयों ने NAAC Status की जानकारी में ग्रेड एवं CGPA दर्ज करने में त्रूटी की है। महाविद्यालयों के NAAC Status की अद्यतन स्थिति शीघ्र ही आगे की गतिविधियों के लिए इस कार्यालय को प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इस हेतु गूगल लिंक प्रदान गई थी, जिसमें चाही गई जानकारी संलग्न सूची में दर्शित महाविद्यालयों से आज दिनांक तक अप्राप्त है। संलग्न गूगल प्रपत्र में दिनांक 05.01.2020 तक जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करें।

जानकारी दर्ज करने की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2020

(वेद प्रकाश)
अपर आयुक्त/परियोजना संचालक
राज्य परियोजना संचालनालय,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक /2485/वि.बैं.प./2019 भोपाल, दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपिः—

1. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की और इस आशय से की अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले महाविद्यालयों को समय सीमा में जानकारी प्रेषित करने हेतु निर्देशित करना चाहें।

अपर आयुक्त/परियोजना संचालक
राज्य परियोजना संचालनालय,
मध्यप्रदेश

List of Colleges who have not submittted NAAC Details in Google sheet

S.No.	College Code and Name
1	1001 - Govt. Arts & Commerce College Sagar
2	1002 - Govt PG girls college Sagar
3	1006 - Govt. PG College Bina
4	1007 - Govt.P.G.College, Bina
5	1102 - Govt Kamla Nehru Girls College, Damoh
6	1103 - Govt College Hata Damoh
7	1201 - Govt PG College, Satna
8	1302 - Govt Thakur Ranmat Singh College Rewa
9	1402 - Govt Indira Gandhi Home Science College Shahdol
10	1412 - Govt Degree College, Pushparajgarh, Anooppur
11	1501 - Govt Sanjay Gandhi Smrati College, Sidhi
12	1601 - Rajiv Gandhi Govt. P.G. College Mandsaur
13	1603 - Swami Vivekanand Govt P G College Neemuch
14	1703 - Govt Commerce College, Ratlam
15	1801 - Govt Girls PG College Ujjain
16	1811 - Govt Madhav Arts and Commerce College Ujjain
17	1812 - Govt Madhav Science College Ujjain
18	1904 - Govt Nehru P G College, Agarmalwa, Shajapur
19	2001 - Govt Krishnajirao Pawar P G College Dewas
20	2003 - Govt College Sonkacha
21	2005 - Govt College Khategaon
22	2101 - Govt Shahid Chandrshekhar P G College Jhabua
23	2103 - Govt PG College Alirajpur
24	2106 - Govt College Thandla
25	2201 - Maharaja Bhoj Govt. PG COLLEGE DHAR
26	2202 - Govt Girls College Dhar
27	2207 - Govt College Dharampuri
28	2301 - Govt. Holkar Science College, Indore
29	2302 - Gov Arts and Commerce College Indore
30	2305 - Govt Nirbhay Singh Patel Science College, Indore
31	2306 - Govt Sanskrit College, Indore
32	2403 - Govt P G College Badwani
33	2404 - Govt Girls College, Badwani
34	2405 - Govt College, Badwaha
35	2407 - Govt College Mandaleshwar, Khargone
36	2408 - Govt College Anjad
37	2411 - Govt College, Sendhawa
38	2413 - Govt College Kasrawad
39	2501 - Govt Shri Nilkantheshwar P G College Khandwa
40	2502 - Govt Girls College Khandwa
41	2803 - Govt Sarojini Naidu Girls P G College Bhopal
42	2805 - Govt P G College, BHEL
43	2806 - Geetanjali Govt. Girls PG College, Bhopal
44	2812 - Institute for excellence Bhopal
45	2902 - Govt Girls College Sehore
46	3001 - Govt Swami Vivekanand College Raisen
47	3003 - Govt College Bareli Raisen
48	3006 - Govt College, Obedullaganj

30/12/2019

49	3009 - Raja Bhoj Govt College
50	301 - Govt shyamlal pandaviya college, morar,gwalior
51	302 - Govt Girls P G College, Morar
52	305 - Govt Kamlaraje Girls P G College Gwalior
53	3101 - Govt Jaywanti Haksar P G College, Betul
54	3102 - GOVT. GIRLS COLLEGE BETUL
55	3103 - Govt College Multai
56	3206 - Govt Kusum College, Seonimalwa
57	3207 - Govt Arts and Commerce College Harda
58	3208 - Govt College Timrani
59	3304 - Govt M K B Arts and Commerce College Jabalpur
60	3305 - Govt College Ordinance Factory
61	3306 - Govt Girls College, Ranjhi, Jabalpur
62	3307 - Govt College Panagar Jabalpur
63	3309 - Govt Shyam Sundar Agrawal College Sihora, Jabalpur
64	3310 - Govt Tilak College Katni
65	3314 - Govt College, Bahoriband
66	3401 - Govt P G College narshingpur
67	3403 - Govt P G College Gadarwada Narsinghpur
68	3504 - Govt Chandravijay College Dindhori
69	3602 - Rajmata Sindhiya Govt Girls College Chhindwara
70	3605 - Govt College, Junardev , Chhindwara
71	3606 - Govt College Amarwada
72	3607 - Govt Arts College, Sausar, Chhindwara
73	3610 - Govt College Bichhua Chhindwara
74	3702 - Govt Girls College
75	3703 - Swami Vivekanand Govt College Lakhanadon Seoni
76	3706 - GOVT. DEGREE COLLEGE CHHAPARA
77	3802 - Govt Kamla Nehru Arts College, Balaghat
78	3803 - Govt Aranya Bharti College
79	3804 - Govt Shankarlal Patel Arts & Law College Waraseoni Balaghat
80	401 - Govt P G College Datia
81	501 - Govt. Shri Madhavrao Scindia PG Coll Shivpuri
82	603 - Govt Nehru PG College, Ashoknagar
83	702 - Govt Virangana Avanti Bai Girls College

30/12/2019

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन भोपाल —462006

क्रमांक 506/64/आउशि/छा./2022 भोपाल दिनांक 17/06/2022

प्रति,

1 कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

2 प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय
महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः— एमपीटास पोर्टल पर विद्यार्थियों के प्रवेश एवं शुल्क के डाटा को अपलोड करने के संबंध मे।
संदर्भः— दिनांक 02.06.2022 गएवं 03.06.2022 को आयोजित समीक्षा एवं गूगल मीट।

उपरोक्त विषयांतर्गत में लेख है कि संदर्भित समीक्षा एवं गूगल मीट के द्वारा विश्वविद्यलायों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनतर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों का प्रवेश एवं प्रवेशित पाठयक्रम का शुल्क का डाटा अपलोड करने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

उक्त संबंध में आपकों निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 21/06/2022 तक आपकी संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों का प्रवेश एवं प्रवेशित पाठयक्रम का शुल्क का डाटा एमपीटास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु छात्रवृत्ति शाखा के ईमेल पर heschlor@mp.gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करे, किसी प्रकार की समस्या एवं मार्गदर्शन हेतु तकनीकी सलाहाकार श्री नीरज श्रीवास्तव के दूरभाष क्रमांक 98275 97449 पर संपर्क करे। साथ ऐसे विद्यार्थियों का पृथक से डाटा प्रेषित करे, जिन्होने प्रवेश सत्र 2021—22 में जाति प्रमाण पत्र के अभाव में सामान्य श्रेणी से प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् छात्रवृत्ति हेतु जाति श्रेणी में सुधार करने अवगत करा रहे है।

अतः पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन समय सीमा में किया जाए, किसी डाटा की अनुपलब्धता के कारण विद्यार्थी का छात्रवृत्ति से वंचित होने पत्र संस्था की जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ अजय अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ क्रमांक 507/64/आउशि/छा./2022 भोपाल दिनांक 17/06/2022
प्रतिलिपिः—

1 निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: ८८२ /925/2022/38-2 भोपाल, दिनांक: २७ /06/2022

प्रति,

(1) समस्त कुलसचिव,
शासकीय / निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

(2) समस्त प्राचार्य,
शासकीय/ अशासकीय अनुदान प्राप्त/ अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) के क्रियान्वयन बावत ।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से समयबद्ध कार्ययोजना अनुसार प्रदेश के समस्त नागरिकों को ऊर्जा साक्षर किया जाना है। राज्य शासन द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) को मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) से जुडने हेतु वेब पोर्टल www.usha.mp.gov.in पर Login किया जा सकता है। ऊर्जा साक्षरता अभियान के सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन की मंशा अनुसार निम्न कार्यवाही अतिशीघ्र सुनिश्चित की जानी है :-

1. ऊर्जा साक्षरता अभियान का विद्यार्थियों के मध्य पर्याप्त प्रचार-प्रसार।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सभी अधिकारी / कर्मचारियों का ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत प्रमाणीकरण ।

3. विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का "ऊषा" प्रमाणीकरण ।

4. जिला स्तर पर ऊषा मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण, जो विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में ऊषा अभियान का प्रशिक्षण देंगे।

5. सभी कक्षाओं में चयनित विद्यार्थियों को "ऊषा मित्र" बनाया जाए, जो अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों से ऊषा अभियान की जानकारी साझा करेंगे।

6.ऊर्जा साक्षरता अभियान में जुडने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणेत्तर गतिविधियों (Extra Curricular Activities) में विशेष प्रोत्साहन।

7. ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुडने, प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं प्रमाणीकरण हेतु गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध UShA मोबाईल एप्प का विद्यार्थियों के मध्य व्यापक प्रचार -प्रसार।

8. अभियान के संबंध में जागरूकता हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन।

ऊर्जा साक्षरता अभियान के सुचारू क्रियान्वयन हेतु उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

27.06.22

(डॉ. आलोक निगम)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर ...2...

पृ. क्रमांक: 883 /925/2022/38-2 भोपाल, दिनांक: 27 /06/2022

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, शिवाजी नगर , भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

27.06.22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमाक– 1421 /281/आउशि/बजट/2018 भोपाल, दिनांक– 4/7/2018

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय (नवीन प्रांरभ किये गये) महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– नवीन प्रारंभ किये गये शासकीय महाविद्यालयों में बैंक खाता खोलने संबंधी।

उपरोक्त विषय में ज्ञात हो तो कि प्रशासकीय विभाग के आदेश कमांक एफ 23–1/2016/38–2, दिनांक 21/25.06.2018 द्वारा 44 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये गये है। इसी प्रकार इसके पूर्व में भी नवीन शासकीय महाविद्यालय एवं नवीन आदर्श महाविद्यालय प्रांरभ किये जाने के आदेश जारी किये गये है।

नवीन प्रांरभ किये गये शासकीय महाविद्यालयों एवं आदर्श महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रवेश प्रकिया प्रांरभ की गई है। नवीन शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्कों एवं महाविद्यालय संचालन हेतु अन्य कार्यो के लिए बैंक खातें की आवश्यकता होगी।

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न योजनाओं/कार्यकमों हेतु बैंक खाता खोलने के संबंध में प्रशासकीय विभाग के परिपत्र कमांक एफ 19–15/2017/38–2, दिनांक 25.09.017 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। (प्रति संलग्न है)

अतः नवीन प्रांरभ किये शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा महाविद्यालय संचालन हेतु बैंक खाता खोलने के संबंध में प्रशासकीय विभाग के निर्देश दिनांक 25.9. 2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

सलग्न– उपरोक्तानुसार

आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क. 1422 /281/आउशि/बजट/18, भोपाल, दिनांक 4/7/2018

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव,मध्य प्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
4. समस्त संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,मध्यप्रदेश
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा,भोपाल
7. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

......की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक F-19/15 /2017/38-2 भोपाल,दिनांक 25-9-17

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः— शासकीय महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु पृथक बैंक खाते खोले जाने संबंधी निर्देश ।

—00—

शासकीय महाविद्यालयों मे विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु पृथक-पृथक बैंक खाते संचालित हैं जिससे कार्य संपादन में असुविधा होने के साथ ही वित्तीय अनियमितता की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों/निर्देशों को अधिकमित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में बैंक खाते निम्नानुसार संचालित किये जावे:—

स.क.	खाते का प्रकार	धनराशि का विवरण आवश्यकतानुसार
1	जनभागीदारी खाता	जनभागीदारी + स्ववित्त
2	यू.जी.सी. बैंक खाता	केवल यू.जी.सी.
3	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	केवल रूसा
4.	वर्ल्ड बैंक	केवल वर्ल्ड बैंक
5	ई.डी. खाता समेकित	अन्य समस्त निधियां एवं राशियां

शर्तें:—

(1) उपरोक्त खाते अधिकतम खातों की संख्या दर्शाते है ।
(2) वास्तविक संख्या उपरोक्त मे से प्रचलित योजना/कार्यकम संचालित होने की स्थिति में ही निर्धारित होगी ।
(3) सभी खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा शैड्यूल्ड बैंकों में ही खोले जाएं ।
(4) ई.डी. खातों के विषय में वित्त विभाग के निर्देशो का पालन किया जाएं ।
(5) उपरोक्तानुसार खाते ही अधिकतम संख्या में है इसके अतिरिक्त कोई अन्य खाता मान्य नही होगा ।
(6) इन खातों के अंतर्गत समस्त कार्यवाही एवं अभिलेख नियमानुसार संधारित किये जाए
(7) प्रत्येक खाते का वार्षिक ऑडिट एवं रिकंसीलेशन करना प्राचार्य का उत्तरदायित्व होगा
(8) अर्जित ब्याज उसी योजना की राशि मानी जाएगी ।

निरंतर..2..

वित्त विभाग के परामर्श अनुसार जनभागीदारी समिति योजनांतर्गत खोले गए बैंक खातों पर वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है। जनभागीदारी योजनांतर्गत खोले गए बैंक खातों में कोषालय से आहरित संचित निधि की कोई भी राशि जमा नहीं की जावे ।

खाते संचालित/खोलने के पश्चात् उपरोक्तानुसार शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

25.9.17
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल

पृ. कमांक ~~एफ.15-19/2017/38-2~~ 1915/2017/38-2 / भोपाल,दिनांक 25/9/17

प्रतिलिपिः–

1– महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3– आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4– संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(रूसा) मध्यप्रदेश भोपाल ।
5– समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
6– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा/आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
7– समस्त संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8– गार्ड फाईल ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

[illegible]

25.9.17
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004
E-Mail ID-hegaz@mp.gov.in

क्रमांक 936/398/आउशि/शाखा–2/21, भोपाल,दिनांक 30/6/21

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः– सत्र 2021–22 हेतु अतिथि विद्वानों के आमंत्रण के संबंध में।
संदर्भः– म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल का आदेश क्रमांक 1–42/2017/38–1 दिनांक 17.12.2019

–0–

विषयान्तर्गत लेख है कि अतिथि विद्वानों के आमंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा जारी संदर्भित निर्देश दिनांक 17.12.2019 प्रभावशील हैं। उक्त नीति के परिपालन में सत्र 2021–22 हेतु प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/क्रीडाअधिकारी/ग्रंथपाल के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्व उन्हीं अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाए, जो कि सत्र 2020–21 में दिनांक 30.6.2021 की स्थिति में आमंत्रित रहे हों। उक्तानुसार अतिथि विद्वानों को सचिव, जनभागीदारी समिति की हैसियत से दिनांक 01.07.2021 से सत्र 2021–22 के लिए आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाए।

2/ किसी भी स्थिति में, नियमित पदस्थापना/नियुक्ति के कारण अथवा जिन पदों के विरूद्व किसी अन्य का वेतन आहरित हो रहा हो उन पदों के विरूद्व आमंत्रण की कार्यवाही न की जाए।

3/ फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों के संबंध में पूर्व की भांति कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से संचालनालय स्तर से की जाएगी। किसी भी फॉलेन आउट अतिथि विद्वान के संबंध में महाविद्यालय स्तर से आमंत्रण की कार्यवाही नहीं की जाए।

4/ अतिथि विद्वानों के संबंध में मानदेय एवं अन्य शर्तें उपरोक्त संदर्भित नीति/निर्देश अनुसार रहेंगी, जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः संदर्भित शासनादेश दिनांक 17.12.2019

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र

पृ. क्रमांक 937/398/आउशि/शाखा–2/21, भोपाल,दिनांक 30/6/21

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग
2. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
5. आई.टी. सेल उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि तत्संबंध में की जाने वाली कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

क्रमांक F 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 17-12-2019

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय,

मध्यप्रदेश ।

विषय - रिक्त पदों के विरूद्ध विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वानों से संबन्धित नीति-निर्देश ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा-अधिकारी, ग्रंथपाल के पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने एवं स्थानांतरण से पदस्थापना के उपरांत विस्थापित (Fall Out) अतिथि विद्वानों को रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान के रूप में पुन: कार्य पर रखा जावे । इस अनुक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के लिए प्राध्यापक, सहायक प्रध्यापक, क्रीडा-अधिकारी तथा ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरूद्ध आमंत्रित होकर कार्यरत अतिथि विद्वानों से संबंधित पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित/निरस्त करते हुए विस्थापित होने वाले अतिथि विद्वानों को पुन: कार्य का अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य के साथ "अतिथि विद्वान व्यवस्था" को संचालित किये जाने हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. **सामान्य:**

1.1 अतिथि विदवानों की व्यवस्था महाविदयालयों में केवल स्वीकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ग्रंथपाल के शिक्षकीय रिक्त पदों के विरूद्ध ही की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस विषय के प्राध्यापक/सहायक-प्राध्यापक का पद रिक्त होगा, उसी विषय का अतिथि विद्वान आमंत्रित किया जाएगा।

1.2 संस्कृत महाविदयालयों के अराजपत्रित संवर्ग के शिक्षकीय रिक्त पदों के विरूद्ध संबधित महाविदयालय द्वारा नियमानुसार व्यवस्था अपने स्तर पर की जावेगी।

1.3 रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान की व्यवस्था वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत विद्यार्थी-संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड के अनुसार निर्धारित वर्कलोड के अनुसार की जाएगी।

1.4 संबन्धित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की

नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के अनुरूप वांछित है, तथापि रिक्तियों की बडी संख्या को देखते हुए सत्र 2019-20 में शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त अतिथि विद्वान इस व्यवस्था के अंतर्गत भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

1.5 अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक-सेवक" नहीं माने जाएँगे।

2. **आमंत्रण की प्रक्रिया:**

आमंत्रण की प्रक्रिया में केवल वही अतिथि विद्वान भाग ले सकेंगे जो आमंत्रण के सत्र के विगत सत्र में किसी शासकीय महाविद्यालय में रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

2.1 किसी महाविद्यालय में विगत सत्र में कार्यरत अतिथि विद्ववान को उसके विषय का रिक्त पद उपलब्ध होने पर उस महाविद्यालय का प्राचार्य सत्रारंभ पर इस निर्देश में वर्णित वरीयता की निर्धारण की विधि से निर्धारित हो रहे वरीयता क्रम में स्वत: आमंत्रित कर सकेगा।

2.2 स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने संबधित प्रारूप-पत्र विभागीय पोर्टल से डाउनलोड करते हुए प्राचार्यो द्वारा नियमित प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ग्रंथपाल को कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। तदनुसार किसी महाविद्यालय में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/ क्रीड़ाधिकारी संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा प्राचार्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। यदि संबन्धित प्राचार्य के अनुसार कार्यभार के आधार पर उक्त रिक्तियों में से किसी पर अतिथि विद्वान को आमंत्रित किए जाने की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य द्वारा उस रिक्ति को पोर्टल पर लॉक (Lock) कर दिया जाएगा। लॉक की गई रिक्तियों पर विस्थापित (Fall Out) अतिथि विद्वानों का आवंटन नहीं होगा तथा लॉक किये जाने वाले सत्र में महाविद्यालय स्तर पर इन्हें अनलॉक (Unlock) नहीं किया जा सकेगा ।

2.3 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दर्ज याचिका क्रमांक WP 9368/2016 में प्राप्त निर्देश के अनुपालन में आमंत्रण पत्र उन अतिथि विद्वानों को ही जारी किया जाएगा, जो रिक्त पदों के विरूद्ध आमंत्रण के सत्र के विगत अकादमिक सत्र में शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत थे । किसी भी नवीन अभ्यर्थी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

2.4 अतिथि विद्वानों का आमंत्रण सम्पूर्ण वर्ष अर्थात 12 माह के लिए प्राचार्य द्वारा जनभागीदारी समिति के सचिव की हैसियत से किया जाएगा।

2.5 आमंत्रित आवेदक को महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अतिथि विद्वान द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी एवं इसकी पुष्टि पोर्टल पर निर्धारित अवधि में की जावेगी।

2.6 अतिथि विद्वानों द्वारा किए गए कार्य का लाभ भविष्य में दिये जाने के लिए 12 माह को एक शिक्षण सत्र माना जायेगा।

2.7 प्रतिवर्ष अकादमिक सत्रारंभ के पूर्व केवल एक बार के लिए अतिथि विद्वानों को उनकी योग्यता के डाटा में सुधार का अवसर दिया जाएगा ताकि यदि उनकी उपाधि में कोई वृद्धि हुई हो तो उसे रिकार्ड किया जा सके। इस परिवर्तन का सत्यापन मूल अभिलेख के आधार पर संबन्धित अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा। उपरोक्तानुसार दर्ज योग्यता के आधार पर ही आमंत्रण की प्रक्रिया सम्पूर्ण वर्ष सम्पादित होगी।

2.8 अतिथि विद्वानों के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । इसके लिए अतिथि विद्वान को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उसको व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

2.9 अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।

2.10 इस आदेश के अनुसार आमंत्रण की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के निर्देशों के अध्यधीन होगी।

3. **नियमित पदस्थापना/नियुक्ति होने पर की जाने वाली प्रक्रिया :-**

3.1 किसी भी स्थिति में स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध अतिथि विद्वान को कार्यरत नहीं रखा जाएगा।

3.2 किसी महाविद्यालय में उपरोक्तानुसार नियमित पदस्थापना होने पर कार्यरत अतिथि विद्वान को विस्थापित (Fall-Out) किया जाएगा एवं विस्थापित (Fall-Out) होने की जानकारी पोर्टल पर प्राचार्य द्वारा दर्ज की जाएगी ।

3.3 नियुक्ति या स्थानांतरण से पदस्थापना होने पर अतिथि विद्वानों को श्रेणी तथा मेरिट-अंकों की वरीयता के आधार पर विस्थापित (Fall-Out) किया जाएगा। सर्वप्रथम न्यूनतम

वरीयता वाले अतिथि विद्वान को विस्थापित (Fall-Out) किया जाएगा। वरीयता का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से आवंटन की नीति के अनुसार किया जाएगा।

4. विस्थापित (Fall-Out) होने पर आमंत्रण :

4.1 विस्थापित (Fall-Out) होने पर आमंत्रण प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी।

4.2 विस्थापित (Fall-Out) अतिथि विद्वान पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं मेरिट अंक तथा श्रेणी के निर्धारित वरीयता क्रम में उन्हें महाविद्यालय आवंटित कर आवंटन-पत्रक जारी किया जाएगा। संचालनालय द्वारा इस प्रक्रिया की तिथि निर्धारित की जाएगी एवं प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँगे।

4.3 अंतिम मेरिट सूची अतिथि विद्वान द्वारा पूर्व में पोर्टल पर दर्ज एवं सत्यापित स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के साथ अन्य अधिभारों के अंकों को जोड़ते हुए बनायी जायेगी, परन्तु सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ाधिकारी और ग्रंथपाल के पद पर अतिथि विद्वान के आमंत्रण हेतु वरीयता का क्रम निम्नानुसार रहेगाः

श्रेणी - 1 : संबंधित विषय में पीएच.डी. एवं नेट/सेट
श्रेणी - 2 : संबंधित विषय में पी-एच.डी. अथवा नेट/सेट
श्रेणी - 3 : संबंधित विषय में एम.फिल.
श्रेणी - 4 : न्यूनतम अहर्ता वाले आवेदक (स्नातकोत्तर योग्यताधारी)

टीप : श्रेणी-1 एंव श्रेणी-2 में आवेदक उपलब्ध न होने पर ही श्रेणी-3 व श्रेणी-4 के आवेदकों पर विचार किया जावेगा।

4.4 **अनुभव हेतु अंक** :- अतिथि विद्वानों को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव के अंकों के साथ वर्ष 2016 -17 तथा इसके पश्चात किये गये अध्यापन कार्य के लिए देय अधिभार अंकों को जोड़कर गणना में लिया जाएगा। ये अंक अतिथि विद्वान द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर दर्ज किये जाएंगे, जिन्हे असत्य पाए जाने पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राचार्य द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिए जोड़ा जाएगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों में किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा । यह अधिभार अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव के लिए 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक सत्र में 151 से 220 कालखण्ड के मध्य चार अंक तथा 101 से 150 कालखण्ड के मध्य तीन अंक, 51 से 100 कालखण्ड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा। संस्कृत महाविद्यालयों के अराजपत्रित शिक्षकों हेतु 100 कार्य दिवस हेतु 2 अंक एवं 50 कार्य दिवस एवं उससे कम पर 1 अंक दिया जाएगा।

टीप : क्रीड़ा-अधिकारी एवं ग्रंथपाल के लिए कालखण्ड के स्थान पर कार्य दिवस प्रतिस्थापित करते हुए अनुभव के अंकों का निर्धारण किया जाएगा।

4.5 समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार निःशक्तजन अभ्यर्थियों को भी स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।

4.6 <u>मेरिट-अंकों की गणना:</u> स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जाएगा तथा अधिभार जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75% अंक प्राप्त किए हैं, अनुसूचित जाति का है, निःशक्तजन भी है एवं 5 वर्षों का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होंगे :

स्नातकोत्तर- 25 अंक, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिभार-7.5, निःशक्तजन के लिए अधिभार-7.5, अनुभव का अधिभार- 20, कुल मेरिट का अंक = 60.

4.7 <u>वरीयता का निर्धारण:</u> सर्वप्रथम श्रेणी की वरीयता मान्य होगी अर्थात श्रेणी-1 के अतिथि विद्वान को सर्वोच्च वरीयता होगी। श्रेणी समान होने पर मेरिट अंकों की वरीयता देखी जाएगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि विद्वान को वरीयता दी जाएगी।

4.8 आवंटन प्राप्त करने वाले विस्थापित (Fall-Out) अतिथि विद्वान आवंटित महाविद्यालय में 03 कार्य दिवस में अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4.9 प्राचार्य का दायित्व होगा कि उपरोक्त प्रक्रियान्तर्गत अतिथि विद्वान के कार्य पर उपस्थित होने पर उसकी उपस्थिति उसी दिवस में सायं 05:30 बजे तक अनिवार्य रूप से ऑनलाईन माड्यूल में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे सर्वसंबंधित विभागीय वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन आमंत्रण की जानकारी से अवगत हो सकेंगे।

4.10 आमंत्रण-पत्र प्राचार्य द्वारा सचिव जनभागीदारी समिति की हैसियत से जारी किया जाएगा। यह आमंत्रण पत्र आवेदक द्वारा आवंटन-पत्रक संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुति के दिनांक से जारी किया जाएगा। आवंटन-पत्रक में अंकित अंतिम तिथि के बाद आमंत्रण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

4.11 आवेदन उपरांत संबंधित चयनित आवेदक यदि समय सीमा में आमंत्रण स्वीकार करने हेतु कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

4.12 विस्थापित (Fall-Out) होने के उपरांत आवेदन करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की उपरोक्त प्रक्रिया आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण वर्ष साप्ताहिक चक्र में संचालनालय के माध्यम से संपादित की जा सकती है।

5. मानदेय का निर्धारण :-

5.1 अतिथि विद्वानों को प्रति दिवस रूपये 1,500/- का मानदेय दिया जाएगा। इनकी कार्य अवधि सम्पूर्ण वर्ष रहेगी एवं उपस्थिति तथा संतोषप्रद कार्य करने पर प्रतिमाह निम्नानुसार मानदेय दिया जाएगा :-

मानदेय की गणना की विधि:

क. 20 या इससे अधिक कार्य दिवस होने पर-

कुल मानदेय = संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति के दिवसों की संख्या X1500/-

ख. 20 से कम कार्य दिवस होने पर-

$$\text{कुल मानदेय} = \frac{30000 \times \text{संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति के दिवसों की संख्या}}{\text{माह में कुल कार्यदिवसों की संख्या}}$$

टीप : यह स्पष्ट किया जाता है, कि "विस्थापित (Fall-Out)" की अवधि का कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। विस्थापित (Fall-Out) के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ही उपरोक्तानुसार मानदेय देय होगा।

5.2 अध्यापन हेतु आमंत्रित अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा राशि महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

5.3 उपरोक्तानुसार महाविद्यालय के लिए मानदेय हेतु आवश्यक राशि का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव (क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा अभिप्रमाणित तथा रिक्त पदों की जानकारी सहित) प्राचार्य द्वारा संचालनालय की बजट शाखा को भेजा जाएगा।

6. अन्य:-

6.1 महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वान यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा, जिसकी जानकारी सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा वेब-पोर्टल पर दर्ज की जानी अनिवार्य होगी।

6.2 अतिथि विद्वान को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

6.3 अतिथि विद्वानों द्वारा सम्पूर्ण सत्र में किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयीन परीक्षा के अर्जित अंकों एवं प्राचार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

6.4 प्राचार्य महाविद्यालय में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेंगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।

6.5 कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ प्राचार्य के निर्देशानुसार प्रशासकीय-कार्य, अकादमिक एवं पाठ्येत्तरकार्यों यथा- प्रवेश, परीक्षा, छात्र संघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा-उत्सव आदि में अतिथि विद्वान सहयोग प्रदान करेंगे।

6.6 अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय में प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रतिसप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रतिसप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है। प्राचार्य द्वारा अतिथि विद्वानों की कक्षाओं/कार्यों की समय-सारिणी इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उपरोक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

6.7 श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के अतिथि विद्वानों से आवश्यक होने पर ही स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण कार्य कराया जाये, अन्यथा वे केवल स्नातक कक्षाओं तक ही शिक्षण का कार्य करेंगे।

6.8 प्रसूति के कारण अवकाश पर रहने वाली महिला अतिथि विद्वानों को प्राचार्य द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा तथा प्रसूति अवकाश के दौरान उस महिला अतिथि विद्वान के स्थान पर कोई अन्य अतिथि विद्वान आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अवैतनिक अवकाश स्वीकृति के समय इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सामान्य निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। अवैतनिक प्रसूति अवकाश का लाभ लेने के उपरांत महिला अतिथि विद्वान द्वारा आमंत्रण की शेष अवधि में अपना कार्य पूर्ण किया जाएगा।

6.9 अतिथि विद्वानों के अभ्यावेदनों एवं न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के प्रकाश में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जाएगा एवं यदि किसी विषय विशेष में संचालनालय से मार्गदर्शन अथवा निर्देशन की आवश्यकता होती है तो क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

6.10 आवश्यकतानुसार इन निर्देशों की व्याख्या का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को होगा।

6.11 यह आदेश मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति (आइटम क्रमांक 24, दिनाकं 11 दिसम्बर 2019) के अनुसार जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/12/19
(संजीव जैन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक F 1-42/2017/38-1

भोपाल, दिनांक 17-12-2019

प्रतिलिपि:

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन भोपाल।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी,उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
10. समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, मध्यप्रदेश।
11. अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा-1/वि.क.अ. शाखा-2/शाखा-3/सी.सी. सेल, मंत्रालय, भोपाल।
12. उपसचिव, मध्यक्षेत्रीय कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विटठ्न मार्केट , भोपाल।
13. समस्त अधिकारी, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
14. समस्त कोषालय एवं उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेशकीओरसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. कम्प्यूटर सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

17/12/19
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Government of Madhya Pradesh
Department of Higher Education,
State Project Directorate,
192, AVN Tower, Mezzanine Floor
Zone I, M P Nagar, Bhopal (MP)

Corrigendum-2

The Department of Higher Education, State Project Directorate(SPD) under the World Bank Scheme "**Madhya Pradesh Higher Education Quality Improvement Project (MPHEQIP)**"invites for the Procurement ofComputer Lab Equipment.

Item Description for Bidding	Bid End Date	Revised Bid End Date
All In One Desk Top, Printer, UPS	**02-01-2020**	**17-01-2020**
Antivirus	**03-01-2020**	**17-01-2020**

Project Director
State Project Directorate
Department of Higher Education

Government of Madhya Pradesh
Higher Education Department,
State Project Directorate,
192, AVN Tower, Mezzanine Floor
Zone I, M P Nagar, Bhopal (MP)

Tender Notice -NIT No: 06/RFP/2023-24/ICT-VivekandaYuva date 23-06-2023

The State Project Directorate (SPD), Higher Education Department, Madhya Pradesh invites **Request for Bid to Supply, Installation, Testing, Commissioning and Training of Computer Lab on Turnkey Basis at "Vivekananda Yuva Sansadhan Kendra- 52 Colleges within Madhya Pradesh" of Department of Higher Education, Bhopal, Madhya Pradesh.** Interested bidders are requested to view the mptender.gov.in e-Portal for the Bid information **from 26-06-2023 onwards with last date of Submission date as 21-07-2023.** This Tender Notice Information will also be available on https://www.highereducation.mp.gov.in/

Commissioner & Project Director
Higher Education Department

Government of Madhya Pradesh
Higher Education Department,
State Project Directorate,
192, AVN Tower, Mezzanine Floor
Zone I, M P Nagar, Bhopal (MP)

Tender Notice -NIT No: 05/DHE/RFP/2023-24/ Digital teaching device, Date: 23-06-2023

The State Project Directorate (SPD), Higher Education Department, Madhya Pradesh invites **Request for Bid to Supply, Installation, Commissioning and Training for Integrated digital teaching device with UPS and preloaded software on turnkey basis at "Vivekananda Yuva Sansadhan Kendra- 60 Colleges within Madhya Pradesh" of Department of Higher Education, Bhopal, Madhya Pradesh** . Interested bidders are requested to view the mptender.gov.in e-Portal for the Bid information from 26-06-2023 onwards with last date of Submission date as 18-07-2023. This Tender Notice Information will also be available on https://www.highereducation.mp.gov.in/

Commissioner & Project Director
Higher Education Department

Government of Madhya Pradesh
Higher Education Department,
State Project Directorate,
192, AVN Tower, Mezzanine Floor
Zone I, M P Nagar, Bhopal (MP)

Tender Notice -NIT No: 07/RFP/2023-24/Furniture-VivekanandaYuva date 23-06-2023

The State Project Directorate (SPD), Higher Education Department, Madhya Pradesh invites **Request for Bid to Supply, Installation and Commissioning of Furniture on Turnkey Basis at "Vivekananda Yuva Sansadhan Kendra- 52 Colleges within Madhya Pradesh" of Department of Higher Education, Bhopal, Madhya Pradesh.** Interested bidders are requested to view the mptender.gov.in e-Portal for the Bid information **from 26-06-2023 onwards with last date of Submission date as 21-07-2023.** This Tender Notice Information will also be available on https://www.highereducation.mp.gov.in/

Commissioner & Project Director
Higher Education Department

Government of Madhya Pradesh
Higher Education Department,
State Project Directorate,
192, AVN Tower, Mezzanine Floor
Zone I, M P Nagar, Bhopal (MP)

Tender Notice -NIT No: 06/RFP/2023-24/ICT-VivekandaYuva
date 23-06-2023

The State Project Directorate (SPD), Higher Education Department, Madhya Pradesh invites **Request for Bid to Supply, Installation, Testing, Commissioning and Training of Computer Lab on Turnkey Basis at "Vivekananda Yuva Sansadhan Kendra- 52 Colleges within Madhya Pradesh" of Department of Higher Education, Bhopal, Madhya Pradesh.** Interested bidders are requested to view the mptender.gov.in e-Portal for the Bid information **from 26-06-2023 onwards with last date of Submission date as 21-07-2023.** This Tender Notice Information will also be available on https://www.highereducation.mp.gov.in/

Commissioner & Project Director
Higher Education Department

Government of Madhya Pradesh
Higher Education Department,
State Project Directorate,
192, AVN Tower, Mezzanine Floor
Zone I, M P Nagar, Bhopal (MP)

Tender Notice -NIT No: 05/DHE/RFP/2023-24/ Digital teaching device, Date: 23-06-2023

The State Project Directorate (SPD), Higher Education Department, Madhya Pradesh invites **Request for Bid to Supply, Installation, Commissioning and Training for Integrated digital teaching device with UPS and preloaded software on turnkey basis at "Vivekananda Yuva Sansadhan Kendra- 60 Colleges within Madhya Pradesh" of Department of Higher Education, Bhopal, Madhya Pradesh** . Interested bidders are requested to view the mptender.gov.in e-Portal for the Bid information from 26-06-2023 onwards with last date of Submission date as 18-07-2023. This Tender Notice Information will also be available on https://www.highereducation.mp.gov.in/

Commissioner & Project Director
Higher Education Department

Government of Madhya Pradesh
Higher Education Department,
State Project Directorate,
192, AVN Tower, Mezzanine Floor
Zone I, M P Nagar, Bhopal (MP)

Tender Notice -NIT No: 07/RFP/2023-24/Furniture-VivekanandaYuva date 23-06-2023

The State Project Directorate (SPD), Higher Education Department, Madhya Pradesh invites **Request for Bid to Supply, Installation and Commissioning of Furniture on Turnkey Basis at "Vivekananda Yuva Sansadhan Kendra- 52 Colleges within Madhya Pradesh" of Department of Higher Education, Bhopal, Madhya Pradesh.** Interested bidders are requested to view the mptender.gov.in e-Portal for the Bid information **from 26-06-2023 onwards with last date of Submission date as 21-07-2023.** This Tender Notice Information will also be available on https://www.highereducation.mp.gov.in/

Commissioner & Project Director
Higher Education Department

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 865 / 99 / आउशि / शा–5'अ' / 2022, भोपाल, दिनांक 18 / 06 / 2022

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने एवं जारी एप के माध्यम से फोटो अपलोड करने बाबत।

संदर्भ–1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 848–849 / 99 / आउशि / शा–5'अ' / 2022,दिनांक 13.06.2022
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 852–853 / 99 / आउशि / शा–5'अ' / 2022,दिनांक 16.06.2022

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संबंध में समस्त कुलसचिव एवं प्राचार्य राज्य, जिला, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुष विभाग के निर्देशों के अनुसार योगाभ्यास सहित विविध कार्यक्रम आयोजित कर सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसके अन्तर्गत योगासन करते हुए अपनी एक तस्वीर साझा करें। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी योगासन की तस्वीर **mp.mygov.in** पर शेयर करें। महाविद्यालय के प्राध्यापकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को योगासन की तस्वीर अपलोड करने हेतु प्रोत्साहित करें। योगासन संबंधी तस्वीर अपलोड करने पर माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण–पत्र एप के माध्यम से प्राप्त होगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार,

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

18/6/22

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांकः 866 / 99 / आउशि / शा–5'अ' / 2022, भोपाल, दिनांक 18 / 06 / 2022

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय,भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय ,भोपाल।
4. निज सहायक,आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा भवन,भोपाल।
5. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, मंत्रालय ,भोपाल।
6. निज सहायक, कुलपति समस्त विश्वविद्यालय,मध्यप्रदेश।
7. सचिव, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

—— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

#YogaForHumanity
अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस 2022
Yoga Challenge
अपनी योगासन की फोटो शेयर करें
और योग अपनाने हेतु जन-जन में जागरूकता
के लिए इसके फायदे अवश्य साझा करें
सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा
Submit Your Favorite Aasana
विज़िट करें mp.mygov.in
मेरा प्रदेश मध्यप्रदेश
my GOV मेरी सरकार
mp.mygov
MP_MyGov
mp.mygov
MPMyGov
mpmygov
mp.mygov.in

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनाने के लिए योगासन करते हुए अपनी तस्वीरें साझा करें और मुख्यमंत्री जी से ई - सर्टिफिकेट प्राप्त करें

योग के प्रति जागरूकता लाने mp.mygov.in की प्रतियोगिता में योगासन की तस्वीरें करें साझा करें और ई-सर्टिफिकेट प्राप्त करें ।

योग मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और अध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है । योग जीवन में स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही तनाव को दूर करने, कार्य-उत्पादकता में सुधार लाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने आदि के लिए बहुत उपयोगी है । योग के महत्व को बताने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ।

इस साल इसकी थीम है - **मानवता के लिए योग (Yoga for Humanity)**

हम सभी को अपनी दिनचर्या में योग अपनाने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर म.प्र. शासन द्वारा mp.mygov.in पोर्टल पर 20 जून से एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर योगासन करते हुए अपनी एक तस्वीर (photo) साझा करें, साथ ही इसके फायदे बताएं और योग अपनाने हेतु दूसरों को प्रोत्साहित करें ।

- प्रतियोगिता में भाग लेने वाले चयनित प्रतिभागियों को विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षरयुक्त डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा ।
- आपको अपनी योगासन की फोटो कमेंट सेक्शन में jpg / png / pdf फार्मेट में अपलोड करनी होगी।
- mp.mygov.in पर फोटो अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है ।

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 732/यो/आउशि/2022 भोपाल,दिनांक 22/06/2022

कार्यवाही विवरण
आयुक्त,उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में
समीक्षा बैठक
दिनांक 13.06.2022

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी पत्र कं. 707/993/आउशि/शा–1/22 दिनांक 07.06.22 के अनुकम में दिनांक 13.06.2022 को ऑन लाइन गूगल मीट पर सी.एम. हेल्प लाईन में **सीधी जिले के** एल–4 एवं 100 दिवस से अधिक के प्रकरणों पर आयुक्त महोदय के द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें अतिरिक्त संचालक, रीवा, प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय, सीधी एवं सीधी जिले के एल–1 अधिकारी, शिकायत से सम्बधित शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छात्रवृति, अकादमिक एवं समन्वय शाखा, उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल एवं शिकायतकर्ता ऑनलाईन उपस्थित रहे। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

- शिकायत कमांक 16086198 प्रमोद कुमार की शिकायत के संबंध में अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा बताया गया कि उक्त शिकायत को संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर बंद कर दिया गया है।
- शिकायत कमांक 17284618 एवं शिकायत कमांक 17350437 उक्त दोनो शिकायतें पूजा सोनी की शिकायत से सम्बधिंत थी जिसका निराकरण कर दिया गया है। सम्बधिंत कॉलेज को टी.सी. पर चरित्र संबंधी टिप्पणी लिखने की आवश्यकता क्यों पडी, इस संदर्भ में महाविद्यालय के विरूद्व सम्बद्वता शाखा द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- शिकायत कमांक 17342993 राजीव को आवास भत्ता की राशि नहीं मिली है, उक्त संदर्भ में सम्बंधित संस्था के प्राचार्य आवास सहायता के नियमों का गहनता से अध्ययन कर छात्रवृति शाखा उच्च शिक्षा सतपुडा भवन से समन्वय कर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त प्रकरण का निदान करें।
- शिकायत कमांक 17369000 एवं 17531313 उक्त दोनो शिकायतें रीना यादव की है, जिसे प्रथम वर्ष की छात्रवृति प्राप्त नहीं हुई है। सम्बंधित प्राचार्य एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,छात्रवृति शाखा सतपुडा भवन से समन्वय कर प्रकरण को संतुष्टिपूर्ण समाधान हेतु कार्यवाही करें।
- शिकायत कमांक 17486693 प्रदुम्न कुमार शुक्ला शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय,रामपुरनैकिन को मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन संबंल योजना का

फार्म जमा नहीं करने एवं पैसो की मांग करने संबंधी शिकायत की गई है। सम्बंधित प्राचार्य के.पी.आजाद द्वारा उक्त प्रकरण पर लापरवाही पूर्ण एवं अशोभनीय तरीके से आयुक्त महोदय द्वारा पूछने पर मानसिक संतुलन खोते हुये बात की गई, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है। सम्बधित 0प्राचार्य को मेडिकल बोर्ड से मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु आदेशित किया जाये। उक्त प्रकरण पर प्राचार्य द्वारा संतुष्टिपूर्वक कार्यवाही न करते हुये गूगल मीट ऑन लाईन पर अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। अतः इनको उक्त कृत्य के लिये निलंबित किया जाना प्रस्तावित है, सम्बधिंत छात्र के प्रकरण पर अतिरिक्त संचालक, रीवा द्वारा जांच कर प्रतिवेदन आयुक्त,उच्च शिक्षा को प्रेषित करना है।

- शिकायत कमांक 17495967 पूजा साहु संजय गांधी महाविद्यालय, सीधी इनकी छात्रवृति नहीं प्राप्त हुई है। अतः सम्बधित संस्था के प्राचार्य विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छात्रवृति शाखा से समन्वय कर प्रकरण का संतुष्टिपूर्वक समाधान करें ।
- शिकायत कमांक 15744567 अंकित कुशवाह संजय गांधी महाविद्यालय सीधी इनको महाविद्यालय द्वारा छात्रवृति की कम राशि स्वीकृत की गई, जो कि सम्बधित प्राचार्य एवं छात्रवृति प्रभारी की लापरवाही है। इनको अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,रीवा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाये। एवं सम्बधित संस्था के प्राचार्य विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छात्रवृति शाखा से समन्वय कर प्रकरण का संतुष्टिपूर्वक समाधान करें ।

(दीपक सिंह)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, भोपाल

क्रमांक 733/समन्वय/आउशि/2022 भोपाल,दिनांक 22/06/2022

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव,अपर मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल की ओर सादर प्रेषित।
2. सम्बंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा म.प्र.।
3. सम्बधित अग्रणी महाविद्यालय,उच्च शिक्षा,म.प्र.।
4. सम्बधित शाखा प्रभारी,उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुडा भवन,भोपाल।
5. वि.क.अ.आई.टी.शाखा पोर्टल पर अपलोड हेतु।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, भोपाल

कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना

उच्च शिक्षा, भोपाल (मध्यप्रदेश)

E-mail: hesvcgs@mp.gov.in Telephone - 0755-2550064

क्रमांक / 257 / 66 / विवेकानंद / 2022 भोपाल, दिनांक 24.06.22

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय (समस्त)
(मध्यप्रदेश)

विषय–आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश कार्यक्रम के indicator 16.1 (D) अन्तर्गत शिक्षक–प्रशिक्षण के संबंध में।

---00---

विषयांन्तर्गत लेख है कि आर.सी.पी.व्ही.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल द्वारा आयोजित व्यवसायिक एवं व्यक्तित्व निर्माण संबधी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि चार अनिवार्य विषयों के साथ वैकल्पिक विषयों के माड्यूल LMS पर आधारित है। उक्त प्रशिक्षण में आपके महाविद्यालय में कार्यरत समस्त सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीड़ाधिकारी, अतिथि विद्वानों को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रुप से आन लाइन पंजीकृत होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें।

यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में आनलाइन प्रतिभगिता सुनिश्चित नहीं करता है तो प्रशिक्षण व्यय की राशि का भुगतान संबंधित प्रशिक्षणार्थी से वसूला जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीयन एवं अन्य के संबंध में आवश्यक जानकारी संबंधित जिले के जिला नोडल अधिकारी (स्वामी विवेकानंद योजना) एवं राज्य समन्वय कार्यालय के श्री गोविन्द सिंह राय मो. 7000656236 से प्राप्त की जा सकती है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(दीपक सिंह)
आयुक्त
उच्च शिक्षा(मध्यप्रदेश)

क्रमांक / 258/ 66 / विवेकानंद / 2022 भोपाल, दिनांक 24.06.22

प्रतिलिपिः–

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल।
2 स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
3 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
4 संभागीय / जिला नोडल अधिकारी, प्रकोष्ठ प्रभारी SVCGS उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5 संबंधित ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6 कार्यालयीन अभिलेख।

....................................की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

आयुक्त
उच्च शिक्षा(मध्यप्रदेश)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 411 /281/आउशि/आई.टी./2022 भोपाल, दिनाँक 29 / 6 /2022

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
म.प्र.

विषय:- **शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के शासकीय ई-मेल निर्मित करने के संबंध में।**

****

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय महाविद्यालयों द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के नया ई-मेल निर्मित करने हेतु अनुरोध किया जाता है। इस कार्यालय द्वारा ई-मेल निर्माण प्रक्रिया के द्वारा यह संज्ञान में आया है कि संबंधित का पूर्व से ही शासकीय ई-मेल निर्मित है। अतः संबंधित संस्था के प्राचार्य अपने स्तर से इसकी पुष्टी निम्न दी हुई लिंक द्वारा से मोबाईल नम्बर अथवा ई आर शीट का नम्बर दर्ज कर ज्ञात करने के उपरांत ही नवीन शासकीय ई-मेल निर्मित करने हेतु पत्र उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित करें। शासकीय ई-मेल निर्मित करने हेतु निम्न जानकारी (सॉफ्टकॉपी- एक्सेल फार्मेट) में अवश्य रूप से भेजने का कष्ट करें-

First Name	Last Name	Designation	Department/ Ministry	State	Country Code	Mobile	Date of Retirement (dd-mm-yyyy)	Login UID	Complete Email address	Date of Birth (dd-mm-yyyy)
			DHE	Madhya Pradesh	91					

अधिकारी/कर्मचारी के शासकीय ई-मेल ज्ञात करने हेतु लिंक:-
http://103.94.204.46:8090/emailCreationStatus.aspx

29.6.22

(डॉ. आलोक कुमार सिन्हा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल

क्रमांक 412/281/आउशि/आई.टी./2022 भोपाल, दिनाँक 29 / 6 /2022

प्रतिलिपि:-

वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा की ओर सूचनार्थ।

(डॉ. आलोक कुमार सिन्हा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 393/118/आउशि/शा. 5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 01/06/2020

प्रति,

1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
3. प्राचार्य समस्त शासकीय/अनु.प्राप्त अशास./अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय:– दिनांक 25.05.2020 को आयोजित जूम विडियो कॉन्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण।

सन्दर्भ– उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 311/67/2020/38/सी.सी. भोपाल दिनांक 28/05/2020

दिनांक 25/05/2020 को अपरांह 4:00 बजे से 5:00 बजे तक श्री अनुपम राजन प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन की अध्यक्षता एवं श्री मुकेश कुमार शुक्ल, आयुक्त उच्च शिक्षा की उपस्थिति में निर्धारित एजेंडा पर आयोजित जूम विडियो कॉन्फ्रेसिंग में प्रदेश के समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सहित निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष शामिल हुये।

1. **स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आयोजन की समीक्षा :–** समीक्षा बैठक में माननीय कुलपति महोदयों द्वारा अवगत कराया गया कि रीवा विश्वविद्यालय को छोडकर शेष समस्त विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षायें मार्च 2020 के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में आरम्भ हो चुकी थी। अतः उन विश्वविद्यालयों में आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र तथा 25 प्रतिशत परीक्षाओं का संचालन सम्पन्न हो चुका था। शेष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। इसके साथ ही समस्त विश्वविद्यालयों में स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है।

2. **परीक्षा केन्द्रों की जानकारी :–** स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के संदर्भ में शारीरिक दूरी (Social Distancing) के आधार पर प्रति परीक्षार्थी एक मीटर की दूरी को ध्यान में रखते हुये बैठक व्यवस्था, अधोसंरचना की समीक्षा, वीक्षकों की उपलब्धता आदि को दृष्टिगत रखते हुये परीक्षा केन्द्रों के निर्माण पर चर्चा की गई। समस्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदयों ने परीक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि किये जाने का विचार प्रस्तुत किया तथा विस्तारित परीक्षा केन्द्रों की अनुमति उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव भी रखा गया।

3. **प्रश्न पत्र मुद्रण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा :–** स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र के मुद्रण की अद्यतन स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा और महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर को छोड़कर शेष सभी पाँच विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों का

निरंतर...2

मुद्रण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों के संबंध में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को छोड़कर शेष समस्त विश्वविद्यालयों में प्रश्न पत्रों का मुद्रण किया जाना शेष है। समस्त कुलपति महोदयों ने प्रमुख सचिव उच्च विभाग को यह आश्वासन दिया कि वे परीक्षा आरंभ होने के पूर्व निर्धारित समय सीमा में सभी प्रश्न पत्रों का मुद्रण करा लेंगे।

4. **समस्त परीक्षार्थियों के लिए एक समान (Common) प्रश्न पत्र के संबंध में विचार :–** प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम संचालित है। अतएव प्रदेश के समस्त परीक्षार्थियो के लिए पृथक–पृथक विषयों में एक समान (Common) प्रश्न पत्र प्रकाशित कर, जो परीक्षार्थी जहाँ है वहीं पर उसकी परीक्षा आयोजित करने पर चर्चा की गई। माननीय कुलपति महोदयो से प्राप्त जानकारी के आधार पर आज दिनांक की स्थिति में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा और महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर को छोड़कर शेष सभी पाँच विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों का मुद्रण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस संबंध में माननीय कुलपति महोदयों ने यह अभिमत व्यक्त किया कि वर्तमान सत्र में पाँच विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष के समस्त प्रश्न पत्रों का मुद्रण कार्य सम्पन्न हो चुका है। अतएव प्रदेश के समस्त परीक्षार्थियों के लिए एक समान (Common) प्रश्न पत्र का प्रकाशन किया जाना सम्भव नही होगा।

5. **परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में अद्यतन जानकारी :–** सत्र 2019–20 के लिये स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में माननीय कुलपति महोदयों ने यह जानकारी दी कि स्नातक अंतिम वर्ष के समस्त परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किया जा चुका है। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिये बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को छोड़कर शेष सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क संबंधित विश्वविद्यालयों में जमा करना होगा। माननीय कुलपति महोदयों ने यह आश्वासन दिया कि स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आरंभ होने से पूर्व ऑनलाइन शुल्क जमा करा लिया जायेगा।

6. **परीक्षार्थियों की लोकेशन के संबंध में अद्यतन जानकारी :–** प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के परीक्षार्थियों की लोकेशन के संबंध में चर्चा की गई, कि वर्तमान समय में परीक्षार्थी अपने–अपने परीक्षा केन्द्रों/शहरों पर उपस्थित हैं अथवा नहीं? इस विषय पर माननीय कुलपति महोदयों ने अवगत कराया की इस संबंध में विश्वविद्यालयों के पास जानकारी उपलब्ध नही है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने–अपने स्तर पर तथा उच्च शिक्षा संचालनालय भी अपने स्तर से इस संबंध में जानकारी एकत्र कर समीक्षा करें। माननीय कुलपति महोदयों ने यह विचार व्यक्त किया कि जो विद्यार्थी 29 जून 2020 से आरंभ होने वाली परीक्षाओं में कतिपय कारणों से परीक्षा में शामिल नही हो पाते है ऐसे परीक्षाओं के लिये अगस्त/सितम्बर में विशेष परीक्षाओं के आयोजन पर निर्णय लिया जा सकता है।

7. **महाविद्यालय भवनों को क्वारेंटाईन सेंटर बनाये जाने पर परीक्षा संचालन संबंधी व्यवस्था की जानकारी :–** प्रदेश में कोरोना कोविड–19 के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय भवनों को क्वारेंटाईन सेंटर के रूप में अधिग्रहित कर लिया गया है। अतएव उन परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इस विषय पर माननीय कुलपति महोदयों से यह

निरंतर...3

विचार व्यक्त किया कि ऐसे स्थानों पर निकट के अशासकीय महाविद्यालय तथा शासकीय/अशासकीय विद्यालय भवनों को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के लिये स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग ने यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह जानकारी एकत्रित कर पृथक–पृथक भवनों में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के लिए अधोसंरचना आदि की समीक्षा करते हुए नवीन परीक्षा केन्द्रों के निर्माण के प्रस्ताव के साथ ही विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

8. **परीक्षा केन्द्रों को सेनेटाईज आदि कराने के संबंध में चर्चा** :– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा माननीय कुलपति महोदयों से चर्चा कर यह सुझाव दिया कि परीक्षार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि परीक्षा आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक महाविद्यालय भवन को 100 प्रतिशत सेनेटाईज कराने की व्यवस्था के लिये महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाये। परीक्षा केन्द्रो पर प्रत्येक पाली समाप्त होने के पश्चात् परीक्षा कक्षों आदि को पूर्णतः सेनेटाईज कराया जाये तथा प्रत्येक परीक्षार्थियों को मॉस्क लगाकर परीक्षा में शामिल होने के लिये निर्देशित किया जाये। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्र के नियत्रंण कक्ष में सेनेटाईजर एवं कुछ मात्रा में मॉस्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। प्रमुख सचिव महोदय ने यह सुझाव दिया कि कोरोना कोविड–19 से सुरक्षा के संबंध में समस्त कुलपति अपने–अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों पर सेनेटाईजेशन एवं स्वच्छता बनाये रखने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा विस्तृत दिशा निर्देश सूचना पटल के माध्यम से जारी किये गये हैं। जिससे कि वर्तमान समय में परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार से संक्रमण से बचाया जा सके।

अंत में आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात विडियों कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त हुई।

'प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित'

01/06/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 394/118/आउशि/शा. 5'अ'/2020 — भोपाल, दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
4. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय, विनियानक आयोग, भोपाल।
6. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)।
7. समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. वि.क.अ. (आई.टी. सेल) उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

–––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक 575/105/आउशि/बजट/2020 भोपाल, दिनांक 10/6/2020

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
(संलग्न सूची अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान हेतु आवश्यक राशि की जानकारी ऑन लाईन माड्युल में दर्ज करने बावत अंतिम अवसर ।

संदर्भः- 1.कार्यालयीन पत्र कमांक/450-51/54/आउशि/बजट/20 दिनांक 21.4.20 ।
2.पत्र क्रमांक/511/54/आउशि/बजट/20 दिनांक 18.5.20 ।

---0---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालयीन पत्र दिनांक 21.4.2020 द्वारा मार्च-अप्रेल,20 के मानदेय हेतु राशि आवंटित की गई थी । इसके अनुक्रम में कई महाविद्यालयों द्वारा कार्यरत अतिथि विद्वानों के अनुपात में कम राशि के आवंटन के कारण अतिरिक्त राशि की मांग की गई थी । इसके फलस्वरूप कार्यरत अतिथि विद्वानों को उचित ढंग से मानदेय भुगतान की दृष्टि से इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 18.5.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 के लंबित मानदेय तथा मार्च20-अप्रेल,20 के पत्र दिनांक 21.4.2020 द्वारा आवंटित राशि के अतिरिक्त वांछित राशि की मांग ऑन लाईन माड्युल में दिनांक 22.5.2020 तक दर्ज करने हेतु समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया गया था ।

2. उक्त पत्र के अनुक्रम में दिनांक 31.5.2020 तक केवल 330 महाविद्यालयों द्वारा जानकारी दर्ज की गई और 165 महाविद्यालयों द्वारा कोई जानकारी दर्ज नहीं की गई है । यह स्थिति उचित नहीं है। इन महाविद्यालयों की सूची संलग्न है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि महाविद्यालय एवं संबंधित प्राचार्य द्वारा शासन के निर्देशों का पालन करने में उदासीनता बरती जाती है और शासकीय कार्य का संपादन गंभीरता से नहीं किया जाता है और यह स्थिति उनकी घोर लापरवाही का द्योतक है ।

3. अतः अंतिम अवसर प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि अतिथि विद्वानों के मानदेय हेतु अवधि अनुसार वास्तविक एवं सही राशि की गणना कर मांग ऑन लाईन माड्युल दर्ज करें । जानकारी दर्ज करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मार्च,20 एवं अप्रेल,20 में 20-20 दिवस के मानदेय का भुगतान किया जाना है । यदि कोई 20 दिवसों से कम कार्यरत रहा है तो उनको कार्यरत दिवस के अनुसार भुगतान किया जावेगा । अतः इस अवधि की तदानुसार ही गणना कर राशि जानकारी दर्ज की जावे और इस अवधि की मांग की जाने वाली राशि के संबंध में रिमार्क कॉलम में आवश्यक रूप से कारण स्पष्ट किया जावे । साथ ही जानकारी निरंक होने की स्थिति में भी ऑन लाईन माड्युल में तदानुसार जानकारी दर्ज की जावे।

4. उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 15.6.2020 तक आवश्यक रूप से ऑन लाईन माड्युलमें दर्ज की जावे । यदि जानकारी त्रुटिपूर्ण एवं मांग की गई राशि के संबंध में रिमार्क कॉलम. में स्पष्ट टीप अंकित नहीं की गई तो कोई आवंटन नही किया जावेगा । उक्त तिथि के पश्चात इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जावेगा और संबंधित प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

09 June 2020.

(प्रदीप मिरकाम)
संयुक्त संचालक–वित्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0कमांक/576 /105/आउशि/बजट/2020 भोपाल,दिनांक 10/6/2020

प्रतिलिपिः–

1. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश ।
2. संबंधित प्राचार्य,अग्रणी शासकीय महाविद्यालय,मयप्रदेश ।

......की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

9/6/20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(पीएल)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

जिनके द्वारा जानकारी दर्ज नहीं की गई है। 30/5/2020

Guest Lecturer Remuneration 2019-20 (As per Letter 18.May.2020) [Search Status : 0 O

165

01,June,20

स.क.	महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला	सत्र 2018-19 के लंबित मानदेय हेतु वांछित राशि	1 अप्रैल 20 से फरवरी,20 तक की अवधि के लंबित मानदेय हेतु वांछित राशि	ऑनलाईन दर्ज जानकारी अनुसार कार्यरत अतिथि विद्वान	महावि. के अनुसार कार्यरत अतिथि विद्वान	पत्र 21.4.20 द्वारा मार्च एवं अप्रैल,20 हेतु आवंटित राशि के अतिरिक्त वांछित राशि
SNo	college	location	district	pend0520	pend0520b	GFWRK0520	GFOnlWRK0520	req0520
2	Govt College	Badod	Agarmalwa					
3	Govt College	Nalkheda	Agarmalwa					
5	Swamy Vivekanand Govt College	Susner	Agarmalwa					
7	Govt College	Bhawra	Alirajpur					
8	Govt Collge	Jobat	Alirajpur					
10	Govt Tulsi College	Anooppur	Anooppur					
11	Govt College	Bijuri	Anooppur					
15	Govt College	Rajnagar	Anooppur					
16	Govt College	Venkatnagar	Anooppur					
17	Govt Law College	Ashoknagar	Ashoknagar					
18	Govt Nehru P G College	Ashoknagar	Ashoknagar					
20	Govt College	Isagarh	Ashoknagar					
21	Govt Ganesh Shankar Vidyarthi College	Mungawali	Ashoknagar					
22	Govt College	Piprai	Ashoknagar					
23	Govt College	Sahrai	Ashoknagar					
24	Govt College	Shadhora	Ashoknagar					
35	Govt Jatashankar Trivedi College	Balaghat	Balaghat					
45	Govt College	Tirodi	Balaghat					
51	Govt College	Bhaisdehi	Betul					
52	Govt College	Bhimpur	Betul					
53	Govt College	Ghodadongri	Betul					
64	Govt College	Lahar	Bhind					
65	Govt College	Mehgaon	Bhind					

68	Govt Swami Vivekanand Degree College	Berasiya	Bhopal							
79	Institute for Excellence in Higher Educaiton	Bhopal	Bhopal							
86	Govt College	Bakswaha	Chhatarpur							
87	Govt College	Bijawar	Chhatarpur							
106	Govt College	Lodhikheda	Chhindwara							
108	Govt Pench Valley College	Parasiya	Chhindwara							
111	Govt College	Umranala	Chhindwara							
112	Govt College	Batiyagarh	Damoh							
113	Govt P G College	Damoh	Damoh							
114	Govt Kamla Nehru Girls College	Damoh	Damoh							
118	Govt Arts College	Tendukheda	Damoh							
119	Govt Vijyaraje Sindhiya College	Bhander	Datia							
123	Govt College	Indergarh	Datia							
124	Govt Govind Degree College	Sewdha	Datia							
127	Govt Girls College	Dewas	Dewas							
128	Govt Law College	Dewas	Dewas							
129	Tukojirao Pawar Govt Science College	Dewas	Dewas							
130	Govt College	Hatpipalya	Dewas							
132	Govt College	Khategaon	Dewas							
136	Govt College	Tokkhurd	Dewas							
137	Govt College	Badnawar	Dhar							
139	Govt College	Bidwal	Dhar							
143	Govt College	Dharampuri	Dhar							
146	Sardar Vallabh Bhai Patel Govt. College	Kukshi	Dhar							
151	Govt College	Amarpur	Dindori							
152	Govt College	Bajag	Dindori							
154	Govt College	Gadasarai	Dindori							
155	Govt College	Karanjiya	Dindori							

156	Govt College	Mehandwani	Dindori						
157	Govt College	Samnapur	Dindori						
158	Govt Adarsh College	Shahpura	Dindori						
161	Govt College	Beenaganj	Guna						
162	Govt Girls College	Chachoda	Guna						
163	Govt P G College	Guna	Guna						
164	Govt Girls College	Guna	Guna						
165	Govt Law College	Guna	Guna						
166	Govt College	Kumbhraj	Guna						
168	Govt College	Bhitarwar	Gwalior						
171	Govt Adarsh Science College	Gwalior	Gwalior						
172	Govt M L B Arts and Commerce College	Gwalior	Gwalior						
176	Govt Sanskrit College	Gwalior	Gwalior						
177	Govt Arts and Commerce College	Mohna	Gwalior						
178	Govt Shyamlal Pandaviya College	Morar	Gwalior						
183	Govt College	Timarni	Harda						
185	Govt College	Bankhedi	Hoshangabad						
186	Govt College	Dolriya	Hoshangabad						
195	Govt College	Seonimalwa	Hoshangabad						
206	Govt Arts and Commerce College	Rau	Indore						
219	Govt Girls College	Ranjhi	Jabalpur						
222	Govt Girls College	Jhabua	Jhabua						
227	Govt College	Thandla	Jhabua						
229	Govt College	Bahoriband	Katni						
233	Govt Girls College	Katni	Katni						
235	Govt College, Bahoriband	Sleemanabad	Katni						
238	Govt College	Harsud	Khandwa						
241	Govt College	Mundi	Khandwa						
243	Govt College	Badwaha	Khargone						

244	Govt College	Bhikangaon	Khargone					
247	Govt Girls College	Khargone	Khargone					
248	Govt College	Mandaleshwar	Khargone					
250	Govt College	Anjaniya	Mandla					
252	Govt Degree College	Bhua Bichhiya	Mandla					
253	Govt Rani Durgawati College	Mandla	Mandla					
254	Govt Jagannath Chaudhari Girls College	Mandla	Mandla					
255	Govt College	Mawai	Mandla					
257	Govt College	Niwas	Mandla					
259	Govt College	Daloda	Mandsaur					
262	Govt P G College	Mandsaur	Mandsaur					
264	Pt. Atal Bihari Bajpai Govt College	Pipliyamandi	Mandsaur					
266	Govt College	Sitamau	Mandsaur					
269	Govt College	Jaura	Morena					
270	Govt College	Kailaras	Morena					
272	Govt Girls College	Morena	Morena					
278	Govt P G College	Narsinghpur	Narsinghpur					
279	Govt Shyamsundar Mushran Girls College	Narsinghpur	Narsinghpur					
280	Govt College	Saikheda	Narsinghpur					
282	Govt College, Narsinghpur	Tendukheda	Narsinghpur					
286	Swami Vivekanand Govt P G College	Neemuch	Neemuch					
291	Govt College	Ajaygarh	Panna					
292	Govt College	Amanganj	Panna					
296	Govt Chhatrasal P G College	Panna	Panna					
299	Govt Arts and Commerce College	Shahnagar	Panna					
302	Pandit Deendayal Upadhyay Govt College	Begamganj	Raisen					
303	Govt College	Gairatganj	Raisen					
307	Govt Girls College	Raisen	Raisen					

308	Govt College	Silwani	Raisen					
310	Govt College	Udaypura	Raisen					
314	Govt College	Khilchipur	Rajgarh					
318	Govt Swami Vivekanand College	Sarangpur	Rajgarh					
321	Govt College	Bajna	Ratlam					
322	Govt Bhagatsingh P G College	Jaora	Ratlam					
324	Govt College	Namli	Ratlam					
325	Govt College	Piploda	Ratlam					
326	Govt Arts and Science P G College	Ratlam	Ratlam					
329	Govt College	Rawti	Ratlam					
330	Govt College	Sailana	Ratlam					
331	Govt College	Tal	Ratlam					
333	Govt College,	Govindgarh	Rewa					
338	Govt Shahid Kedarnath P G College	Mauganj	Rewa					
340	Govt Adarsh Science College	Rewa	Rewa					
342	Govt Girls P G College	Rewa	Rewa					
343	Govt Madhav Sadashiv Rao Golbalkar College	Rewa	Rewa					
346	Govt College	Semariya	Rewa					
351	Govt Girls College	Bina	Sagar					
354	Govt College	Garhakota	Sagar					
361	Govt College	Rahatgarh	Sagar					
384	Govt College	Budni	Sehore					
386	Govt College,	Gopalpur	Sehore					
387	Govt College	Ichhawar	Sehore					
388	Govt College	Jawarnagar	Sehore					
389	Govt College	Ladkui	Sehore					
390	Govt College	Nasrullaganj	Sehore					
393	Govt Girls College	Sehore	Sehore					
394	Govt College	Shahganj	Sehore					
396	Govt College	Chhapara	Seoni					
399	Govt College	Kurai	Seoni					
404	Pt Ramkishor Shukl Smriti G Arts & Comm	Beohari	Shahdol					

405	Govt Nehru Degree College	Budhar	Shahdol					
406	Govt College	Gohparu	Shahdol					
408	Govt Arts and Commerce College	Jaysinghnagar	Shahdol					
409	Govt Abhayanand Sanskrit College	Kalyanpur	Shahdol					
414	Govt College	Maksi	Shajapur					
416	Govt College	Polay Kala	Shajapur					
425	Govt College	Vijaypur	Sheopur					
429	Govt Shrimant Maharaja Madhav Rao Sindhiya College	Kolaras	Shivpuri					
430	Govt College	Narwar	Shivpuri					
432	Govt L S Gopal Krishna College	Pohri	Shivpuri					
433	Govt College	Rannod	Shivpuri					
436	Govt Sanskrit College	Bhitari	Sidhi					
438	Govt College	Kusmi	Sidhi					
443	Govt College	Sihawal	Sidhi					
447	Govt College	Barka	Singrauli					
455	Govt College	Jatara	Tikamgarh					
464	Govt College	Ghattia	Ujjain					
470	Govt Arts Science Commerce College	Nagda	Ujjain					
471	Govt Girls College	Nagda	Ujjain					
475	Govt Bhanmal Bhimraj Sanskrit College	Ujjain	Ujjain					
478	Govt Law College	Ujjain	Ujjain					
485	Govt College	Virsinghpurpali	Umariya					
486	Govt Sanjay Gandhi Smrati College	Ganjbasoda	Vidisha					
488	Govt College	Gulabganj	Vidisha					
490	Govt College	Lateri	Vidisha					

8982735
30974875
2115000
42072610

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक: 401 / 122 / आउशि / शा–5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2020

प्रति,

जिला कलेक्टर,
समस्त जिला मध्यप्रदेश।

विषय– कोविड–19 के संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में सहयोग बाबत्।

संदर्भ– (1) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक 311 / 67 / 2020 / 38 / सीसी, भोपाल दिनांक 28.05.2020
(2) कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन,भोपाल का पत्र कमांक 393 / 118 / आउशि / शा. 5 'अ' / 2020, भोपाल,दिनांक 01.06.2020।
(3) माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.06.2020

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित निर्देशों तथा माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.06.2020 के परिपालन में दिनांक 29 जून से आरम्भ होकर 31 जुलाई 2020 तक विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संचालन हेतु महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों पर कोविड–19 की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था के साथ आयोजित किये जाने के निर्देश है।

1. जिले के क्षेत्राधिकार में यदि किसी परीक्षा केन्द्र को कोविड–19 हेतु क्वारेंटिन सेंटर बनाया गया है और यदि ऐसे भवनों को परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाना संभव न हो तो किसी अन्य भवन को परीक्षा केन्द्र हेतु चिन्हित कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. परीक्षा संचालन के दौरान प्रतिदिन प्रत्येक पाली की परीक्षा समाप्ति के पश्चात् सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्र को सेनेटाईज किया जाना है। अतः स्थानीय स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका आदि के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था कर सहयोग अपेक्षित है।

3. परीक्षा केन्द्र पर कोविड–19 हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) का पालन सुनिश्चित कराने एवं परीक्षा केन्द्र पर अनावश्यक रूप से छात्रों के समूह एकत्रित न हो इस हेतु स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग अपेक्षित होगा।

4. परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालय द्वारा तत्काल चिकित्सक, एम्बुलेन्स आदि सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा अधिकारी से सहयोग अपेक्षित होगा।

अतः उपरोक्तानुसार स्थानीय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सहयोग अपेक्षित है।

(मुकेश शुक्ल)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक: 402 / 122 / आउशि / शा–5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2020

प्रतिलिपि–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
4. निज सहायक, संभाग आयुक्त समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
6. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, भोपाल।
7. प्राचार्य, समस्त शास. / स्वशासी / अनु. प्राप्त अशा. / अशा. महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
8. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आई.टी.सेल) उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

क्रमांक 447/162/NSS/18/अड़तीस, भोपाल, दिनांक 28/8/2018

प्रति,

कुलपति,समस्त शासकीय /निजी विश्वविद्यालय
म.प्र.।

विषयः–"स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंर्टनशिप कार्यक्रम 2018" में श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन कर पुरस्कृत करने के सम्बंध में

संदर्भ :–मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 11014/02/2018 ई बीएसबी दि. 18 जुलाई 2018 एवं विभागीय पत्र क्रमांक 233 एवं 234/85/एनएसएस/18,दिनांक 9.5.2018.एवं विभागीय पत्र क्रमांक 397/18,दिनांक13.8.18.

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (संलग्न) के अनुपालन में लेख है कि भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंर्टनशिप कार्यक्रम" का शुभारम्भ किया गया था ।

उक्त कार्यक्रम में विभागीय पत्र दिनांक 13.8.18 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार महाविद्यालयों से प्राप्त श्रेष्ठ प्रविष्टियों (विद्यार्थी/समूह) में से विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर श्रेष्ठ 03 प्रविष्टियों (विद्यार्थी/समूह) का चयन कर लिया गया होगा। उक्त प्रविष्टियों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की साफ्ट कॉपी समस्त विवरण के साथ विभागीय मेल mpnss.slocell@gmail.com पर दिनांक 31.8.2018 तक भेज देवें ताकि राज्य स्तर पर श्रेष्ठ 03 प्रविष्टियों (विद्यार्थी/समूह) का चयन कर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हेतु भेजा जा सके।

(डॉ.जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठां.क. 448/162/2018/38/रासेयो भोपाल, दिनांक 28/08/2018

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक,सचिव,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,उच्च शिक्षा विभाग,भारत सरकार,कमरा नं. 127 सी विंग शास्त्र भवन नई दिल्ली,
2. निज सहायक आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।.
3. अध्यक्ष,विनियामक आयोग,मध्यप्रदेश निजि विश्वविद्यालय,भोपाल ।
4. कुल सचिव,समस्त विश्वविद्यालय,म.प्र.।
5. समस्त अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,म.प्र.।
6. आई टी सेल की ओर सूचनार्थ ।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

(192, एबीएन टावर, मेजनाइन फ्लोर, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755-2567457)
ई-मेल : spdmpwb@gmail.com

क्रमांक 509 वि.बै.परि./2020 भोपाल, दिनांक 17.06.2020

प्रति,

समस्त प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय (संलग्न सूची अनुसार)
(विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत चयनित महाविद्यालय)
म.प्र.

विषयः- म.प्र. उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (MPHEQIP) अंतर्गत आपके द्वारा प्रेषित जानकारी एवं कोषालयीन जानकारी के मिलान बाबत।

संदर्भः- आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र।

उपरोक्त विषयांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु जैसे कि नैक, रेमेडियल क्लासेस, सेनेटरी नैपकीन मशीन, रेनोवेशन (सिविल) इत्यादि हेतु राशि समय-समय पर आवंटित की गई है।

उक्त संबंध में आपके द्वारा इस कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे गये है आपके द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शित व्यय राशि एवं विषयांतर्गत मद हेतु आपको आवंटित राशि मे से कोषालय से वास्तविक आहरण की गई राशि मे भिन्नता है।

कृपया वास्तविक स्थिति/भिन्नता के कारण से इस कार्यालय को अवगत करावें तदनुसार वास्तविक उपयोग एवं आहरित राशि का मिलान करते हुए पुनरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यदि संशोधित हो तो) इस कार्यालय को निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से भेजने का कष्ट करें।

कृपया उपयोगिता प्रमाण पत्र 5 दिवस के भीतर हार्ड कॉपी इस कार्यालय को एवं स्केन की हुई कॉपी ई-मेल आईडी:- spdmpwb@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- आपके महाविद्यालय से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर दर्शित व्यय एवं कोषालयीन आंकड़े की जानकारी ।

अपर परियोजना संचालक
विश्व बैंक परियोजना
भोपाल, म.प्र.

क्रमांक 510 / वि.बै.परि./2020- भोपाल, दिनांक 17.06.2020
प्रतिलिपिः-

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर परियोजना संचालक
विश्व बैंक परियोजना
भोपाल, म.प्र.

MPHEQIP Budget Utilization Difference with Treasury for FY 2018 19

S No	Code	College Name	Division common	As per Utilization certificate				Total Exp as per treasury	Dif Exp (Treasury vs uc)	[redacted]
				NAAC Allotment	Remedial	Student tracking allotment	Total Expenses as per UC			
1	201	GOVT.MJS PG COLLEGE BHIND	Gwalior	138650		151695	290345	297833	-7488	Differenc
2	301	Govt.S.L.P. (PG) College, Morar, Gwalior	Gwalior	239564		169595	409159	169595	239564	Differenc
3	501	Govt.Shrimant Madhav Rao Scindia P.G.College Shivpuri (M.P.)	Gwalior		124600		124600	202904	-78304	Differenc
4	606	Govt. Girls College Chachoda	Gwalior				0	149718	-149718	Differenc
5	701	Govt. P.G. College, Tikamgarh	Sagar	0	0	0	0	7830	-7830	Differenc
6	1303	Govt. Girls P.G.College Rewa	Rewa	0	346888	174573	521461	333427	188034	Differenc
7	1507	GOVT. ARTS AND COMMERCE COLLEGE MAJHAULI	Rewa	562329			562329	149315	413014	Difference
8	1704	BHAGATSINGH GOVT PG COLLEGE JAORA	Ujjain	0	0	160207	160207	0	160207	Difference
9	1801	Govt. Girls P.G. College, Ujjain	Ujjain	0	215100	5925	221025	225331	-4306	Difference
10	2205	Govt.College Badnawar	Indore	0	0	0	0	151000	-151000	Difference
11	2312	GOVT.NEW LAW COLLEGE INDORE	Indore	0	0	0	0	229287	-229287	Difference
12	2801	Govt Adarsh Motilal Vigyan Mahavidyalaya Bhopal	Bhopal	0	0	0	0	12630	-12630	Difference
13	2802	Govt. MLB Girls PG Autonomous college Bhopal MP	Bhopal	0	0	320000	320000	42621	277379	Difference
14	2803	sarojini naidu gpvt girls p g autonomous college	Bhopal	0	339713	145894	485607	456606	29001	Difference
15	2902	Govt. Girls College Sehore	Bhopal	0	0	0	0	585528	-585528	Difference
16	3210	Govt Mahatma Gandhi Smrati College Itarsi, Hoshangabad	Bhopal	81457	0	204561	286018	309148	-23130	Difference
17	3302	Govt. Mahakoshal Arts & Commerce College Jabalpur	Jabalpur		199540	24000	223540	199540	24000	Difference
18	3603	Govt College Tamia	Jabalpur	0	0	0	0	208360	-208360	Difference
19	3607	Govt college sausar	Jabalpur			198480	198480	181215	17265	Difference

MPHEQIP Budget Utilization Difference with Treasury for FY 2019 20

S No	code	College Name	division	As per Utilization certificate								Total Expenses as per Utilization	Total Expenses as per treasury	Dif Exp (Treasury vs uc)	
				NAAC	Remedial	Student	Renovation IDP	Energy Audit	FMS	Sanitry	Other				
1	201	GOVT.MJS PG COLLEGE BHIND	Gwalior						29500			29500	0	29500	Differ
2	303	Govt Adarsh Science College	Gwalior									0	29993	-29993	Differ
3	501	Govt. Shri Madhavrao Scindia PG Coll Shivpuri	Gwalior		124600							124600	324475	-199875	Differ
4	1001	Govt. Arts & Commerce College	Sagar		73100	173161			20500			266761	93600	173161	Differ
5	1004	Govt Nehru College Deori, Sagar	Sagar						20500			20500	71270	-50770	Differ
6	1201	Govt P G College Satna	Rewa		15221							15221	47021	-31800	Differ
7	1202	Govt Girls PG College Satna	Rewa									0	21177	-21177	Differ
8	1205	Govt.Vivekanad P.G.College Maihar	Rewa	286150		77448	200000					563598	663598	-100000	Differ
9	1303	Govt. Girls P.G.College Rewa	Rewa		38734		189740					228474	414620	-186146	Differ
10	1306	Govt.S.K.College Mauganj.Distt.Rewa(M.P.)	Rewa	399920	312907	19182	191202					923211	904029	19182	Differe
11	1402	Govt. Indira Gandhi Home Science Girls PG college Shahdol	Rewa		135000				31730	64417	21400	252547	198980	53567	Differe
12	1412	govt degree college pushprajgarh	REWA		200000				30000	66000		296000	714738	-418738	Differe
13	1413	Govt College, Jaithari, Anooppur	Rewa				250000		22833			272833	222804	50029	Differe
14	1502	Govt.Girls College Sidhi	Rewa	289300						42587		331887	311887	20000	Differe
15	1704	BHAGATSINGH GOVT PG COLLEGE JAORA	UJJAIN									0	315599	-315599	Differe
16	1805	Govt Vikram College, Khachrod	Ujjain	89590	27000							116590	111090	5500	Differe
17	1806	Govt Arts Science Commerce College, Nagda, Ujjain	Ujjain	180000					29000			209000	0	209000	Differe
18	1807	Govt. College, Mahidpur	UJJAIN	400000								400000	560841	-160841	Differe
19	2001	Govt Krishnajirao Pawar P G College Dewas	Ujjain				200000		21500			221500	399998	-178498	Differe
20	2002	Girls college Dewas	Ujjain		284565	6600			21500	59578		372243	265400	106843	Differe
21	2004	Govt. College Kannod	Ujjain	104127		329470	200000					633597	352753	280844	Differe
22	2012	Tukojirao Pawar Govt Science	Ujjain				200000					200000	0	200000	Differe
23	2103	GOVT.P.G.COLLEGE ALIRAJPUR	INDORE		10000				26591	64478		101069	263285	-162216	Differe
24	2107	Govt College, Bhawra, Alirajpur	Indore		42707		6196			65299		114202	139187	-24985	Differe
25	2206	Shri Rajendra Suri Govt. College Sardarpur	Indore				200000		28848	52550		281398	52549	228849	Differe
26	2208	Govt College Dhamnod	Indore		53274							53274	60424	7150	Differe
27	2309	GOVT COLLEGE SANWER DIST-	INDORE								28078	28078	227871	-199793	Differe
28	2411	GOVT. P. G. COLLEGE, SENDHWA	INDORE	286150					22500	50132		358782	336282	22500	Differe
29	2601	GOVT PG COLLEGE RAJGARH MP	BHOPAL	482526					28240			510766	585595	74829	Differe
30	2701	Govt. Girls P G College Vidisha	BHOPAL		79100				25700	63401		168201	335442	-167241	Differe

31	2707	Govt College, Vidisha	Bhopal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156803	-156803	Diff
32	2802	Govt. MLB Girls PG College, Bhopal	Bhopal		143753	247541	200000					591294	391294	200000	Diff
33	2804	Govt. Hamidia PG College Bhopal	Bhopal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18644	-18644	Diff
34	2806	GOVERNMENT GEETANJALI GIRLS PG COLLEGE	BHOPAL		140000							140000	164015	-24015	Diff
35	2807	Govt. Benazir College, Bhopal	Bhopal		60316		73857					134173	114585	19588	Diff
36	2812	Institute for excellence Bhopal	Bhopal		549569							549569	573969	-24400	Diff
37	3207	Govt Arts and Commerce College	Bhopal		122317	167436						289753	268435	21318	Diff
38	3304	Govt M K B Arts and Commerce College Jabalpur	Jabalpur		282700				21240	65830		369770	47300	322470	Diff
39	3504	Govt Chandravijay College	Jabalpur		202571		185000			65996		453567	268567	185000	Diff
40	3609	Govt Science College Pandurna Chhindwara	Jabalpur		222878	152549			30000			405427	239000	166427	Diff
41	3701	GOVERNMENT POST GRADUATE COLLEGE SEONI	Jabalpur	400000			88165		20500			508665	608665	-100000	Diff
42	3703	SWAMI VIVEKANAND GOVT COLLEGE LAKHNADON	JABALPUR	398875		18990	199955			35800		653620	617730	35890	Diff
43	3706	GOVT. DEGREE COLLEGE	Jabalpur	394300	73055	13120	199993			63401		743869	792119	-48250	Diff
44	3805	rani durgavati govt.college	jabalpur				199911			63401		263312	293112	-29800	Diff

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक: 603 /762/आउशि/शा–1/2020 भोपाल, दिनांक: 22.05.2020

प्रति,

समस्त कुलसचिव, पारंपरिक विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश,
समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश,
प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय:– दिनांक 18.05.2020 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 18.05.2020 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक श्री मुकेश कुमार शुक्ल, आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित एजेन्डा अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा आयोजित की गई।

1. **विश्वबैंक परियोजना के अंतर्गत आय–व्यय की जानकारी के संबंध में विवरण बावत् समीक्षाः–** वित्तीय वर्ष 2019–20 में उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के अंतर्गत 280 महाविद्यालयों को जारी किये गये आवंटन तथा व्यय की स्थिति पर चर्चा की गई। आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जिन महाविद्यालयों द्वारा आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया है वे अतिशीघ्र उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करें साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि महाविद्यालयों को उनके प्रदर्शन के आधार पर श्रेणीबद्ध करते हुए उनसे बजट का उपयोग नहीं किये जाने का कारण पूछा जाये। जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा विश्वविद्यालय में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाये जाने हेतु बजट आवंटन की जानकारी चाही गई जिसके संबंध में डॉ सुनील सिंह, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा 25 प्रतिशत बजट आवंटन की जानकारी से उन्हे अवगत कराया गया।

2. **विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं का संचालन व मूल्यांकनः–** सत्र 2019–20 के लिये आयोजित होने वाली विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के अंतर्गत प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 28.02.2020 के परिपालन में क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा महाविद्यालयों के प्राचार्य आपसी समन्वय से परीक्षाओं का संचालन तथा मूल्यांकन का कार्य समय सीमा में संपादित करेंगे। वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए प्राचार्य विद्यार्थियों के मध्य शारीरिक दूरी, सेनेटाईजेशन व अन्य निर्देशों के अनुसार परीक्षाओं में बैठक व्यवस्था तथा उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रकचर आदि का आंकलन सुनिश्चित करेंगे। परीक्षाओं के आयोजन के दौरान सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो। आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरांत पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। इसके साथ ही सभी प्राध्यापकों/अतिथि विद्वानों के ईमेल एड्रेस तैयार कराये जायें तथा परीक्षाओं के आयोजन के पश्चात विश्वविद्यालय समय सीमा में परीक्षा परिणाम जारी करें। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र

में पंजीकृत नियमित/अमहाविद्यालयीन विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र की पहुँच में है या नहीं इस आशय की चिन्हित जानकारी एकत्रित कर संबंधित महाविद्यालय, अग्रणी महाविद्यालय के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। आयुक्त द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में सभी अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य जिले की समस्याओं सहित सुझाव, एक पृष्ठ में दो दिवस के भीतर ईमेल पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों की संख्या मे वृद्धि की जाये ताकि छात्र संख्या अधिक होने के कारण कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वीक्षकों, परीक्षा कक्षों व फर्नीचर की समस्याएँ परीक्षा आयोजन के दौरान उपस्थित न हो।

3. **पारंपरिक व बी एड पाठयक्रमों के लिये सत्र 2020–21 की ऑनलाईन ई प्रवेश प्रक्रियाः–** कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए पारंपरिक एवं बी एड पाठयक्रमों की ई प्रवेश प्रक्रिया की समय सीमा में वृद्धि की गई हैं तथा समस्त बोर्डस के कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात ई प्रवेश की पूर्णतः ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो के द्वारा महाविद्यालयों का ऑनलाईन सत्यापन किया जायेगा तथा कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आवेदित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन स्थिति सामान्य होने पर किया जायेगा व प्रवेश शुल्क का भुगतान भी विद्यार्थियों द्वारा केवल ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा। इसके साथ ही शुल्क का हस्तांतरण विद्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही किया जायेगा।

4. **शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता की कार्यवाहीः**–शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की सम्बद्धता से संबंधित कार्यवाही क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक तथा कुलसचिव द्वारा आपसी समन्वय से सुनिश्चित की जायेगी। 12 शासकीय महाविद्यालयों के लिये सम्बद्धता से संबंधित आदेश जारी किये जा चुके है तथा 816 अशासकीय महाविद्यालयों के लिये नवीन कक्षा आदि से संबंधित निरंतरता संबंधी आदेश भी जारी किये जा चुके है। नवीन अशासकीय महाविद्यालयों के लिये जो अनापति प्रमाण पत्र जारी किये गये है वे वर्ष 2021–22 से लागू माने जायेंगे। विश्वविद्यालयीन निरीक्षण समिति में 10–10 प्राध्यापकों को नामांकित करते हुए अतिरिक्त संचालक क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार जिन महाविद्यालयों के द्वारा सम्बद्धता के आवेदन यदि विश्वविद्यालयों को प्रेषित नही किये गये हैं तो अतिशीघ्र इस हेतु नवीन तिथियों से सबंधित निर्देश जारी किये जायेंगे। आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा यह निर्देशित किया गया कि किसी भी कार्यवाही को पूर्ण करने में कोविड–19 के संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

5.एवं6. **नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों के वेतन आहरण की समीक्षा एवं महाविद्यालयवार स्वीकृत पदों को ऑनलाईन मॉडयूल में अपडेट करने की समीक्षाः–** महाविद्यालयवार/डी डी ओ वार स्वीकृत पदों का डाटा अपडेट कर उसे संचालनालय, कोष एवं लेखा के सर्वर पर अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 230 महाविद्यालयों का डाटा अपडेट करने हेतु ऑनलाईन मॉडयूल बनाया गया है। महाविद्यालयों से प्राप्त डाटा अनुसार कुछ महाविद्यालयों द्वारा पद स्वीकृति आदेश या तो अपलोड नहीं किये गये हैं या सही आदेश अपलोड नहीं किये गये हैं इसके साथ ही कुछ महाविद्यालयों द्वारा पद स्वीकृति आदेश उपलब्ध नहीं होना दर्शाया गया हैं। आयुक्त द्वारा यह

निर्देशित किया गया है कि ऐसे महाविद्यालय, जो पद सृजन से संबंधित आदेश अनुपलब्धता के कारण अपलोड नहीं कर पा रहें हैं वे निर्धारित प्रारूप में तत्काल प्रमाण पत्र मॉडयूल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि वेतन आहरण तत्काल सुनिश्चित किया जा सके।

7. **अतिथि विद्वानों का माह मार्च–अप्रैल 2020 के मानदेय भुगतान की समीक्षा:–** आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के माह मार्च–अप्रैल 2020 के मानदेय भुगतान हेतु बजट जारी किया गया है तथा जिन महाविद्यालयों के द्वारा यह कार्यवाही सुनिश्चित नही की गई है, वे अविलंब मानदेय भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही जिन महाविद्यालयों को अतिरिक्त आवंटन अपेक्षित है वे इस हेतु पृथक से प्रस्ताव सहित मांग पत्र बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त हुई।

22.05.2020

(आयुक्त ,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. आलोक निगम)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल

पृ. क्रमांक: 604/762/आउशि/शा–1/2020
भोपाल, दिनांक: 22.05.2020

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के स्टाफ ऑफिसर।
2. समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर अपनी शाखा से संबंधित बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त शाखा प्रभारी अधिकारी, संचालनालय उच्च शिक्षा, रूसा, विश्व बैंक परियोजना, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना– निर्देशानुसार कृपया कार्यवाही विवरण अनुसार अपनी शाखा से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. प्रभारी आई.टी. सेल संचालनालय उच्च शिक्षा की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

22.05.2020

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल

स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
(192, एबीएन टावर, मेज़नाइन फ्लोर, जोन - 1 एम.पी. नगर भोपाल)
ई-मेल : spdmpwb@gmail.com

क्रमांक/ 1771 /वि.बैं.परि./रूसा/ 2022 दिनांक ; 17 / 06/2022

प्रति,

रजिस्ट्रार
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. |

विषय - AISHE 2021-22 सर्वेक्षण में नवीन शिक्षण संस्थाओ के पंजीकरण एवं डेटा प्रविष्टि के सम्बन्ध में |

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) पोर्टल पर सत्र 2021-22 के 12 वें राउंड के सर्वेक्षण हेतु नवीन उच्चतर शिक्षण संस्थानों एवं आज दिनांक तक AISHE कोड प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों द्वारा पंजीकरण एवं डेटा अद्यतन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है | प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आज दिनांक तक आपके विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक महाविद्यालयों ने AISHE पोर्टल पर अपना पंजीकरण व डेटा प्रविष्टि का कार्य नहीं किया है |

कृपया प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा पोर्टल पर पंजीयन व डेटा प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें |

(दीपक सिंह, आई.ए.एस.)
आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.

पृ. क्रमांक/1772 वि.बैं.परि./ रूसा /2021 भोपाल, दिनांक : 17 / 06/ 2022

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म. प्र. शासन भोपाल |
2. डॉ. सुनील कुमार सिंह, स्टेट नोडल ऑफिसर, MP-AISHE को सूचनार्थ |
3. गार्ड फाइल |

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

(192, एवीएन टावर, मेज़नाइन फ्लोर, जोन - 1 एम.पी. नगर भोपाल)
ई-मेल : spdmpwb@gmail.com

क्रमांक/ 1767 /वि.बैं.परि./रूसा/ 2022 दिनांक ; 17 / 06/2022

प्रति,

प्राचार्य
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. |

विषय - AISHE 2021-22 सर्वेक्षण में नवीन शिक्षण संस्थाओ के पंजीकरण एवं डेटा प्रविष्टि के सम्बन्ध में |

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) पोर्टल पर सत्र 2021-22 के 12 वें राउंड के सर्वेक्षण हेतु नवीन उच्चतर शिक्षण संस्थानों एवं आज दिनांक तक AISHE कोड प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों द्वारा पंजीकरण एवं डेटा अद्यतन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है | प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आज दिनांक तक आपके क्षेत्र के अनेक महाविद्यालयों ने AISHE पोर्टल पर अपना पंजीकरण व डेटा प्रविष्टि का कार्य नहीं किया है |

कृपया प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा पोर्टल पर पंजीयन व डेटा प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें |

(दीपक सिंह, आई.ए.एस.)
आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.

पृ. क्रमांक 1768 / वि.बैं.परि./ रूसा /2021 भोपाल, दिनांक : 17/ 06/ 2022

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म. प्र. शासन भोपाल |
2. डॉ. सुनील कुमार सिंह, स्टेट नोडल ऑफिसर, MP-AISHE को सूचनार्थ |
3. गार्ड फाइल |

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
(192, एवीएन टावर, मेज़नाइन फ्लोर, जोन - 1 एम.पी. नगर भोपाल)
ई-मेल : spdmpwb@gmail.com

क्रमांक/1769 /वि.बैं.परि./रूसा/ 2022 दिनांक ; 17 / 06/2022

प्रति,

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
समस्त संभाग
उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. |

विषय - AISHE 2021-22 सर्वेक्षण में नवीन शिक्षण संस्थाओ के पंजीकरण एवं डेटा प्रविष्टि के सम्बन्ध में |

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) पोर्टल पर सत्र 2021-22 के 12 वें राउंड के सर्वेक्षण हेतु नवीन उच्चतर शिक्षण संस्थानों एवं आज दिनांक तक AISHE कोड प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों द्वारा पंजीकरण एवं डेटा अद्यतन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है | प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आज दिनांक तक आपके क्षेत्र के अनेक महाविद्यालयों ने AISHE पोर्टल पर अपना पंजीकरण व डेटा प्रविष्टि का कार्य नहीं किया है |

कृपया प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा पोर्टल पर पंजीयन व डेटा प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें |

(दीपक सिंह, आई.ए.एस.)
आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.

पृ. क्रमांक 1770 / वि.बैं.परि./ रूसा /2021 भोपाल, दिनांक : 17 / 06/ 2022

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म. प्र. शासन भोपाल |
2. डॉ. सुनील कुमार सिंह, स्टेट नोडल ऑफिसर, MP-AISHE को सूचनार्थ |
3. गार्ड फाइल |

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004
// आदेश //

भोपाल, दिनांक :23/06/2023

क्रमांक: 789/ 139/ आउशि / शा– 5'अ' / 2023 :: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, आदेश क्रमांक 327/46/ सीसी / 2023/ अडतीस, भोपाल दिनांक 17.05.2023 के द्वारा सत्र 2023–24 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी जारी की गई है।

ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी के प्रथम चरण के बिन्दु (द) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय के अपग्रेडेशन का विकल्प भरने की निर्धारित अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए स्नातक (प्रथम वर्ष) में अंतिम तिथि 24.06.2023 तथा स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर) में अंतिम तिथि 25.06.2023 निर्धारित की जाती है।

ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी के प्रथम चरण के बिन्दु (य) विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन विकल्प के आधार पर स्थान रिक्त होने की दशा में अपग्रेडेशन महाविद्यालय आवंटित करने की निर्धारित तिथि में वृद्धि करते हुए स्नातक (प्रथम वर्ष) हेतु अंतिम तिथि 26.06.2023 तथा स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर) में अंतिम तिथि 27.06.2023 निर्धारित की जाती है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

23/6/23

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक 790/ 139 / आउशि / शा–5 अ / 2023,

भोपाल दिनांक 23/06/2023

प्रतिलिपि —

1. प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक माननीय मंत्री जी. उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. निज सहायक आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / उज्जैन / छतरपुर एवं छिन्दवाडा, मध्यप्रदेश।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म. प्र. सतपुडा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

..................की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

Scanned with CamScanner

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004
// आदेश //

भोपाल, दिनांक :23/06/2023

क्रमांक:789/ 139/ आउशि / शा– 5'अ' / 2023 :: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, आदेश क्रमांक 327/46/ सीसी / 2023/ अडतीस, भोपाल दिनांक 17.05.2023 के द्वारा सत्र 2023–24 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी जारी की गई है।

ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी के प्रथम चरण के बिन्दु (द) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय के अपग्रेडेशन का विकल्प भरने की निर्धारित अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए स्नातक (प्रथम वर्ष) में अंतिम तिथि 24.06.2023 तथा स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर) में अंतिम तिथि 25.06.2023 निर्धारित की जाती है।

ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी के प्रथम चरण के बिन्दु (य) विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन विकल्प के आधार पर स्थान रिक्त होने की दशा में अपग्रेडेशन महाविद्यालय आवंटित करने की निर्धारित तिथि में वृद्धि करते हुए स्नातक (प्रथम वर्ष) हेतु अंतिम तिथि 26.06.2023 तथा स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर) में अंतिम तिथि 27.06.2023 निर्धारित की जाती है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

23/6/23
(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल
भोपाल दिनांक 23/06/2023

पृ.क्रमांक 790/ 139 / आउशि / शा–5 अ / 2023,
प्रतिलिपि —

1. प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक माननीय मंत्री जी. उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. निज सहायक आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / उज्जैन / छतरपुर एवं छिन्दवाडा, मध्यप्रदेश।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म. प्र. सतपुडा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

..................की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय

सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक 115 /112/आउशि/2020 **भोपाल, दिनाँक 25 जून 2020**

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश

विषय:- **लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के वेतन भुगतान संबंधी जानकारी ऑनलाइन मॉड्यूल में दर्ज करने के संबंध में।**

---------0---------

उपरोक्त **विषयांतर्गत** लेख है कि लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्तियाँ **विभिन्न** शासकीय महाविद्यालयों में माह दिसंबर 2019 में की गई हैं। इन अधिकारियों में से कार्यभार ग्रहण कर चुके अधिकारियों के वेतन भुगतान के संबंध में Employee Code एवं PRAN जनरेट करते हुए वेतन आहरण के निर्देश समय समय पर जारी किए गए हैं।

इस संबंध में **निर्धारित** प्रपत्र में जानकारी ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से दिनांक 27 जून 2020 तक अनिवार्य रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन मॉड्यूल प्रत्येक महाविद्यालय के लॉगइन पर उपलब्ध रहेगा।

(आयुक्त उच्च शिक्षा, द्वारा निर्देशित)

संलग्न:- निर्धारित प्रपत्र

25/6/2020

(डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग भोपाल

क्रमांक 116 /112 /आउशि/2020 **भोपाल, दिनाँक 25 जून 2020**

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा के निज सहायक
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (बजट शाखा) उच्च शिक्षा, भोपाल को पत्र क्र. Q_1/326/बजट/2020 दिनांक 24/06/2020 के संदर्भ में सूचनार्थ

25.6.2020

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग भोपाल

लोक सेवा आयोग से नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक / ग्रंथपाल / क्रीडा अधिकारी के वेतन भुगतान संबंधी जानकारी

(सुविधा हेतु निम्न प्रपत्र में पूर्व से ही जानकारी दर्ज कर Online Module में दर्ज करने हेतु)

<table>
<tr><td>1</td><td>महाविद्यालय का नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>महाविद्यालय में आवंटित नव नियुक्त की कुल संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले नव नियुक्त की कुल संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>कितने पदों की कोषालय में मैपिंग हो गई है (संख्या)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात कितने नव नियुक्त द्वारा त्यागपत्र दिया गया की कुल संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6</td><td>कितने के ट्रेज़री एम्प्लोई कोड / प्रान जनरेट हो गए है (संख्या)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">31 मार्च 2020 के पूर्व किये गये भुगतान की जानकारी (वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट से भुगतान)</td><td colspan="2">संख्या -</td></tr>
<tr><td colspan="2">राशि रुपये में -</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">मार्च 2020 के पश्चात किये गये भुगतान की जानकारी (वित्तीय वर्ष 2020 – 21 के बजट से भुगतान)</td><td colspan="2">संख्या -</td></tr>
<tr><td colspan="2">राशि रुपये में -</td></tr>
<tr><td rowspan="8">9</td><td rowspan="8">शेष आगामी लंबित भुगतान की माहवार राशि (रुपये में)</td><td>माह, वर्ष</td><td>लंबित भुगतान की राशि</td></tr>
<tr><td>दिसम्बर,2019</td><td></td></tr>
<tr><td>जनवरी,2020</td><td></td></tr>
<tr><td>फरवरी,2020</td><td></td></tr>
<tr><td>मार्च,2020</td><td></td></tr>
<tr><td>अप्रेल,2020</td><td></td></tr>
<tr><td>मई,2020</td><td></td></tr>
<tr><td>जून,2020</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>नव नियुक्त के कितनो का भुगतान शेष है (संख्या)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11</td><td>नव नियुक्त के लंबित भुगतान की कुल शेष राशि (रुपये में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12</td><td>रिमार्क / लंबित भुगतान का कारण</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल.

क्रमांक 505 / 110 / आउशि / छा. / 2019, भोपाल दिनांक 26 / 06 / 2020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त **शासकीय** / अशासकीय
महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित **जनजाति** ,जाति एवं **अन्य** पिछड़ा वर्ग **के विद्यार्थियों** (वर्ष 2019–20) लंबित आवेदन का **परीक्षण** कर स्वीकृत किये जाने बावत।

संदर्भः–कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास का पत्र क्रमांक पीएमएस / 2020 / 87 / 10363 दिनांक 17.06.2020 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन कर, MPTAAS के PMS मॉड्यूल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के (वर्ष 2019–20) नवीनीकरण **के ऑनलाईन** प्रक्रिया के संबंध में संलग्न पत्र एवं उपयोगकर्ता पुस्तिका का पालन सुनिश्चित करें।

उक्त के साथ ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के (**वर्ष** 2019–20) मे शेष विद्यार्थियों **को** छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना है जिसके संबंध में प्राप्त आवेदनों को शीघ्र ही संस्था स्तर पर विद्यार्थियों की जानकारी एवं आवेदनों का **परीक्षण कर** संबधित विभागों को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु प्रेषित किये जायें।

अतः उक्त **संबंध में समस्त** प्राचार्य, शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के **अंतर्गत प्राप्त** आवेदनों पर तत्काल **कार्यवाही कर** संबंधित विभाग को प्रेषित करें। जिससे संबंधित **विभाग द्वारा** छात्रवृत्ति का भुगतान का **कार्य** समय सीमा में किया जा सकें। छात्रवृत्ति का भुगतान समय **पर न** होने की दशा में संबंधित **संस्था** के प्राचार्य उत्तरदायी होंगे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

26.06.2020
(डॉ सुशांत पुणेकर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र

पृ.क्रमांक 506 / 110 / आउशि / छा. / 2020, भोपाल,दिनांक 26 / 06 / 2020

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. निज सहायक, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,मध्यप्रदेश भोपाल।
5. निज सहायक, आयुक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग,मध्यप्रदेश भोपाल।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

26.06.2020
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.

कार्यालय आयुक्त,आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

क्रमांक/पीएमएस/2020/87/ 10363 भोपाल,दिनांक 17/6/2020

प्रति,

आयुक्त

उच्च शिक्षा,

भोपाल ।

विषयः- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2019-20 के डेटा/फीस का शत प्रतिशत अपलोड किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं के MPTAAS पर लंबित आवेदन का परीक्षण कर स्वीकृत किये जाने बाबत् ।

विषयांकित के संबंध में लेख है कि विभागीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (MPTAAS पर)के आवेदन (वर्ष 2019-20) शैक्षणिक संस्था स्तर पर बडी संख्या में लंबित है, जिनका अवलोकन आपके विभाग के OIC छात्रवृत्ति को प्रदाय किये गये आई.डी एवं पासवर्ड पर किया जा सकता है.

संस्था प्रमुखों को आपके स्तर से यह निर्देशित किया जाना है कि वर्ष 2019-20 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के सभी लंबित आवेदनों का परीक्षण कर, नियमानुसार स्वीकृत करें. ताकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्र किया जा सके । यह भी उल्लेखनीय है कि MPTAAS के PMS मॉड्यूल पर वर्ष 2019-20 के ऐसे विद्यार्थी जो कि नवीनीकरण अन्तर्गत आवेदन कर चुके हैं, सर्वप्रथम ऐसे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अपडेट किया जाना है, तत्पश्चात् ही विद्यार्थी एप्लाई कर सकेंगे । यह तथ्य भी अवलोकनीय है कि वर्ष 2018-19 में जितने विद्यार्थियों को PMS भुगतान की गई थी, उसकी तुलना में नवीनीकरण के लगभग 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने ही MPTAAS के PMS मॉड्यूल पर एप्लाई किया है, जो कि लगभग आधा है । MPTAAS के PMS मॉड्यूल पर नवीनीकरण के ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में संलग्न अनुसार स्पष्ट किया गया है, कृपया इसे संबंधित समस्त शैक्षणिक संस्था प्रमुखों को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है ताकि दि. 30 जून 2020 तक समस्त विद्यार्थियों को लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके ।

(बी.चन्द्रशेखर) 18/6/20

आयुक्त

आदिवासी विकास

म.प्र.

MPTAAS

Madhya Pradesh Tribal Affairs Automation System

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□,□□□□□□□□□□

पीएमएस नवीनीकरण प्रक्रिया

विषयसूची

1 Contents

1. परिचय 2
2. उपयोगकर्ता 2
3. प्रक्रिया - विभिन्न उपयोगकर्ता 3
3.1 कॉलेज प्रिंसिपल 3
3.2 विद्यार्थी 10
3.3 नोडल ऑफिस 16

1. परिचय

इस दस्तावेज का उद्द्शेय की पीएमएस नवीनीकरण प्रक्रिया □□ □□□□ □□□□ □□! पीएमएस नवीनीकरण प्रक्रिया में □□□□□□□□□□-

- कॉलेज द्वारा रिजल्ट का अपडेशन किया जायेगा
- विद्यार्थी द्वारा पीएमएस के लिए आवेदन □□□□ □□□□□□ (नवीनीकरण के लिए)
- नोडल ऑफिस द्वारा आवेदन का अनुमोदन किया जायेगा

2. उपयोगकर्ता

इस एप्लीकेशन मॉडल के विभिन उपयोगकर्ता इस प्रकार है :

1. कॉलेज प्रिंसिपल
2. विद्यार्थी
3. नोडल □□□□□

3. प्रक्रिया - विभिन्न उपयोगकर्ता

3.1 कॉलेज प्रिंसिपल

□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ update □□□□ □□□□ ! □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ **MPTAAS system** □□ tribal □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□id □□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ update □□□□ □□□□ ! □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□,□□□□□□(□□□□□□□□□) □□□□□□□□□ □□□ **MPOnline** □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□- □□ □□□□ □□ □□□ MPTAAS single signon □□ □□□□□ □□ MPTAAS system □□□ □□□□□□ update □□□□ □□□□!

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ MPTAAS single signon □□ status

1. □□□□ □□□□□□ □□□□□: e pravesh □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□: https://epravesh.mponline.gov.in/Portal/index.aspx
   □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□:: https://hed.mponline.gov.in/portal/examinations/hed/login.aspx

2. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□: https://dte.mponline.gov.in/

3. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□(mbbs □□□ bds) ,□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ MPMSU □□ □□□□□□ □□ □□□□: https://mpmsu.mponline.gov.in/portal/

4. □□□□ □□□□□ □□□□□: https://iti.mponline.gov.in/

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ **MPTAAS** □□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□(**□□□□□ 6**) □□□ **redirect** □□□□ !

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ **MPTAAS single sign**□□ □□_□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□:

बाये और दिए गए मेनू में से "गतिविधिया " पे क्लिक करें और नीचे दी हुई स्क्रीन प्राप्त करें –

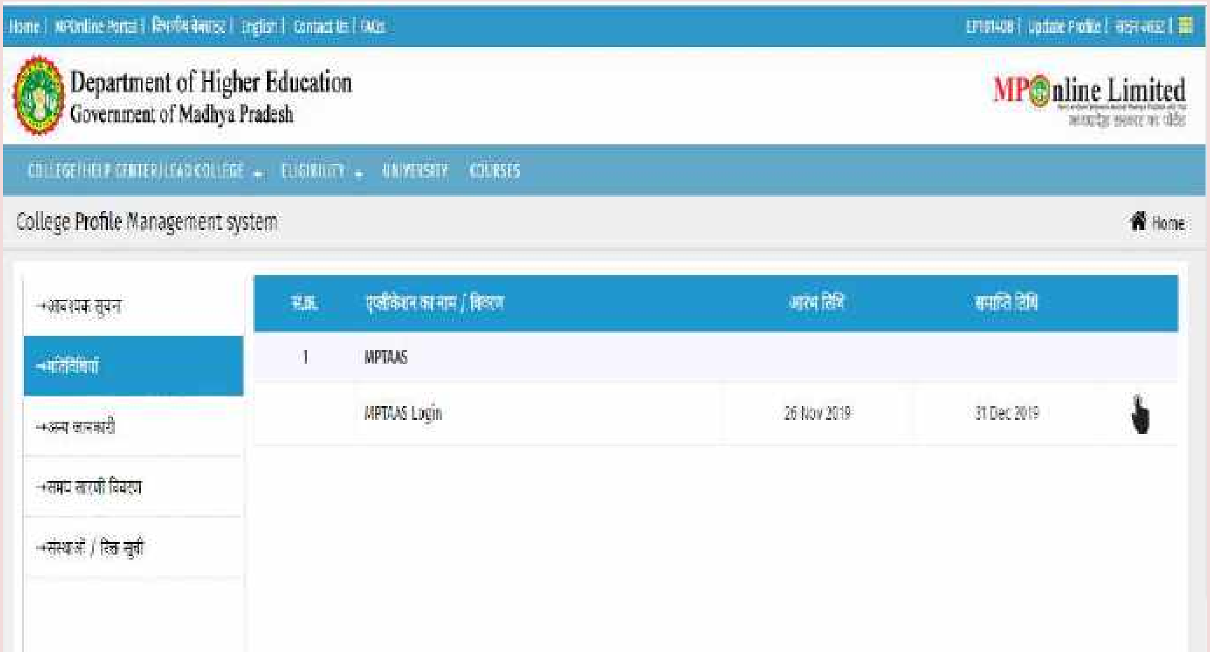

इसमें "MPTAAS लॉगिन " पर क्लिक करें और नीचे दी हुई स्क्रीन प्राप्त करें-

१.कॉलेज लॉग इन में "Master" आप्शन के अन्दर "Result and Renewal" आप्शन पर जाये!

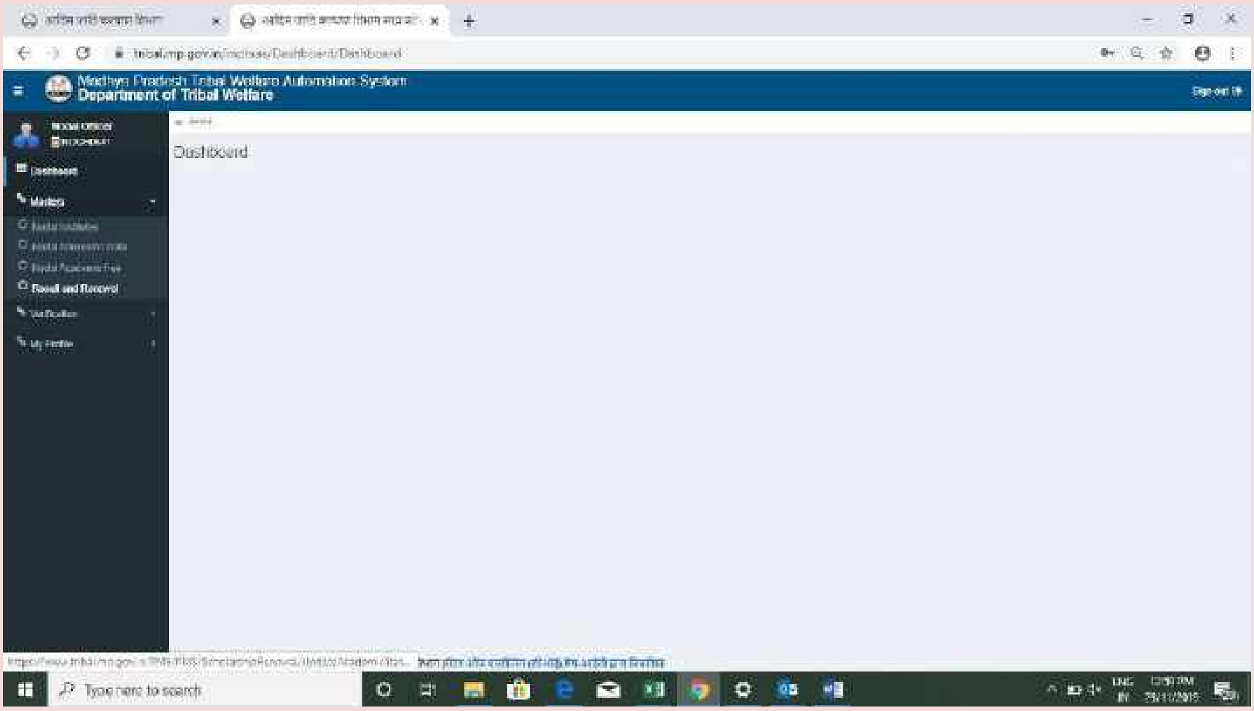

□.”Result and Renewal” आप्शन पर क्लिक करके कॉलेज को निम्न जानकारिया प्रदर्शित होगी-

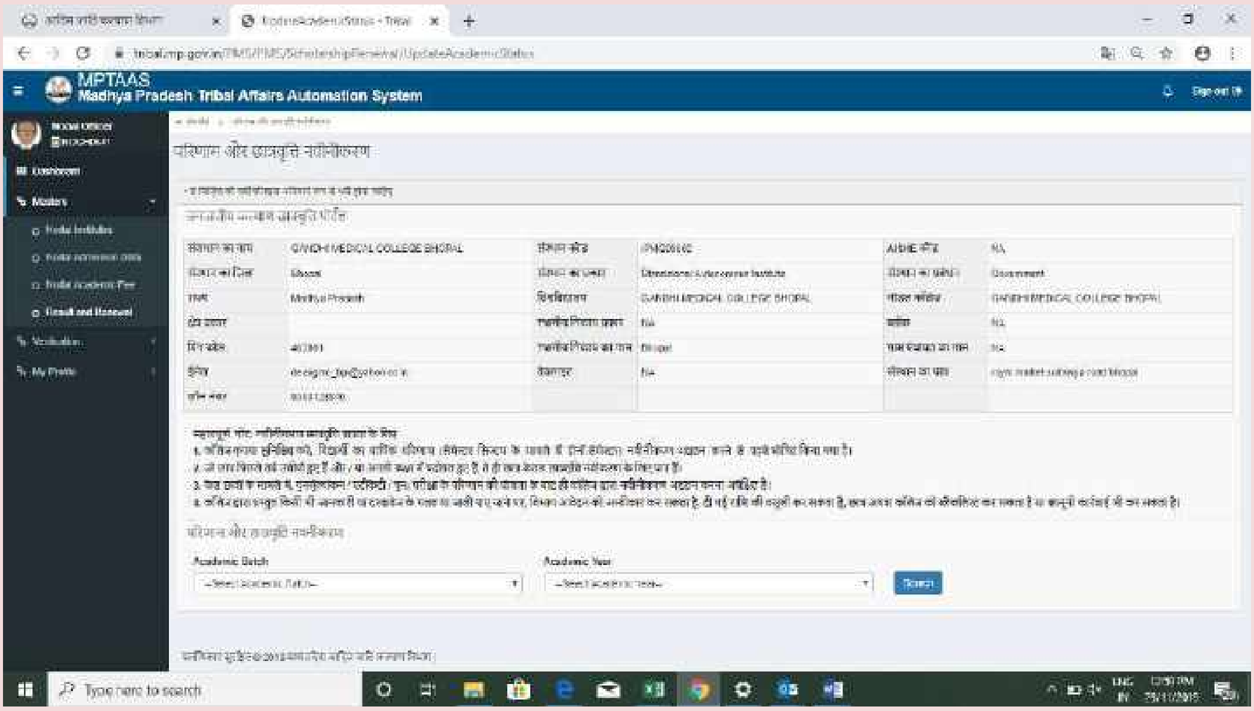

3.कॉलेज एडमिन नवीकरण छात्रवृत्ति पात्रता की सभी दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से □□□!

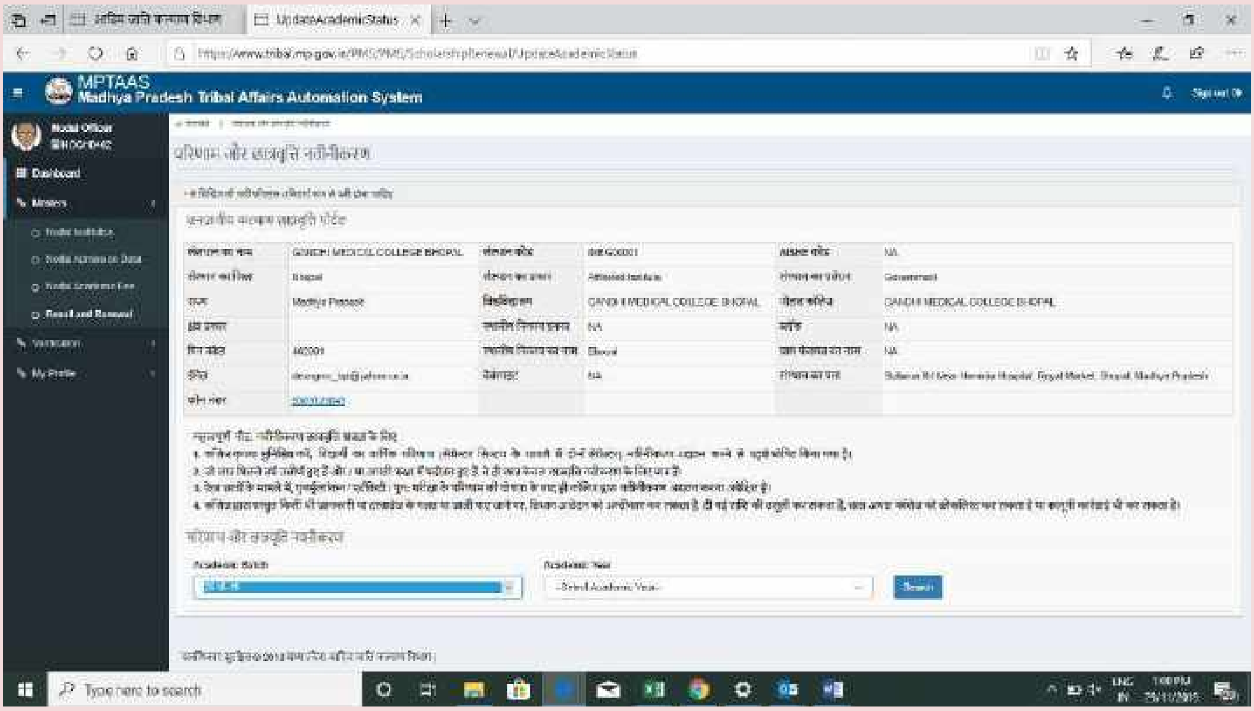

4. कॉलेज एडमिन शैक्षिक बैच को ड्राप डाउन से वह चुनेगा जिस वर्ष में छात्र ने एडमिशन लिया एवं उसका शैक्षिणिक वर्ष वह चुनेगा जिसका रिजल्ट update कॉलेज द्वारा update करने अपेक्षित है -

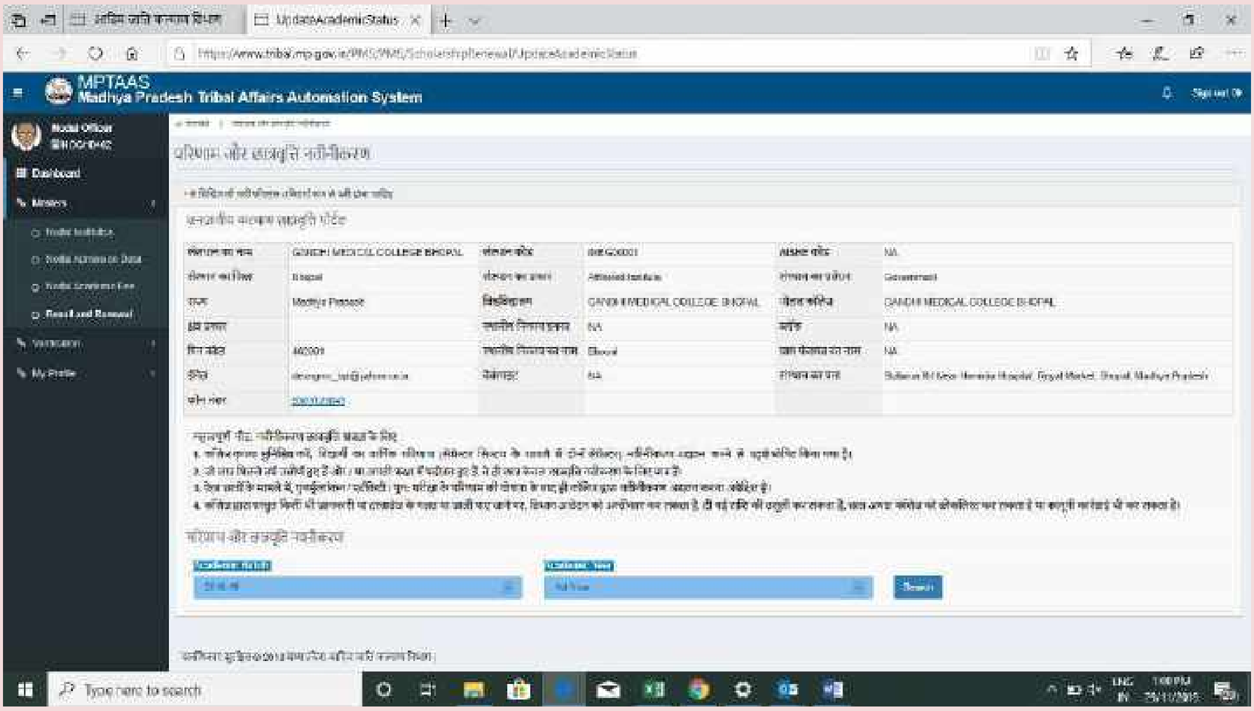

5. शैक्षिणिक बैच और शैक्षिणिक वर्ष चुनने के बाद वह सर्च बटन पर क्लिक करेगा और नीचे दी गयी स्क्रीन प्राप्त करेगा

इस स्क्रीन में उसे विद्यार्थियों के निम्नलिखित डाटा प्राप्त होगा :

- विद्यार्थी का नाम
- स्कॉलर नंबर
- एडमिशन नंबर
- एडमिशन वर्ष
- कोर्स वर्ष
- कोर्स का नाम
- ब्रांच कोड
- ब्रांच का नाम
- अपडेटेड एनरोलमेंट नंबर

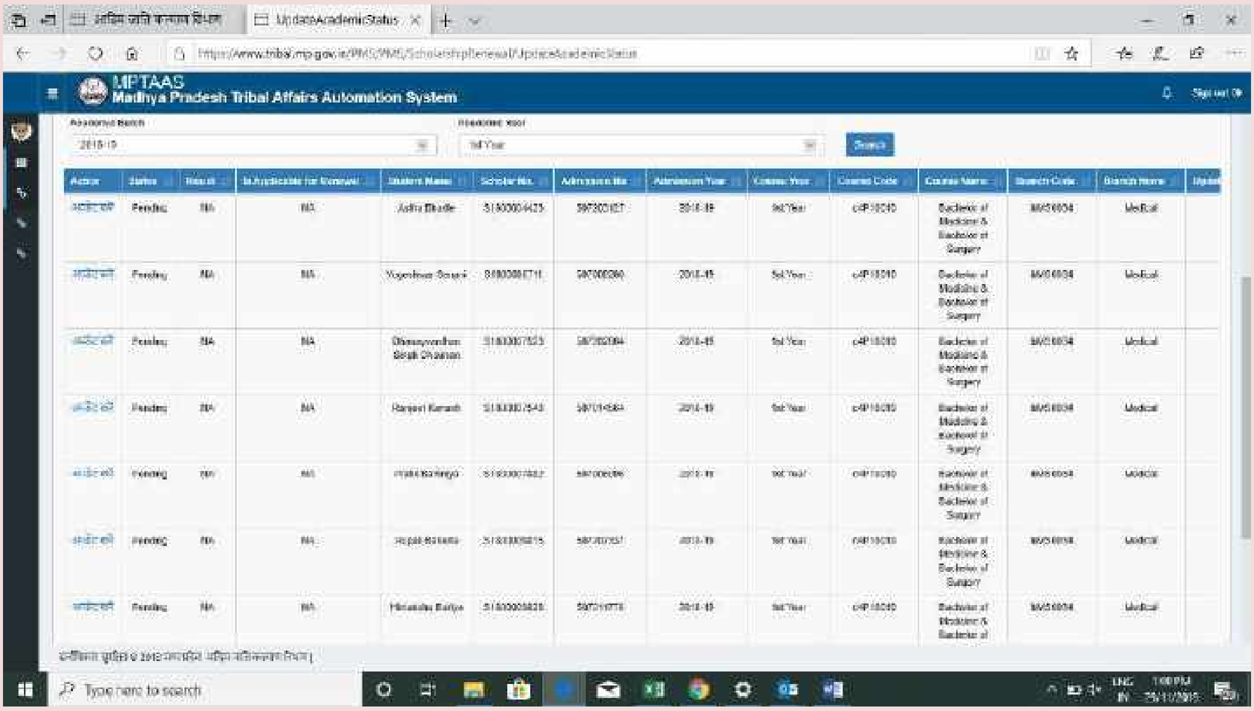

6. एडमिन इन जानकारी के आगे "अपडेट करें " लिंक पर क्लिक करेगा

एडमिन को नीचे दी हुई स्क्रीन प्राप्त होगी :

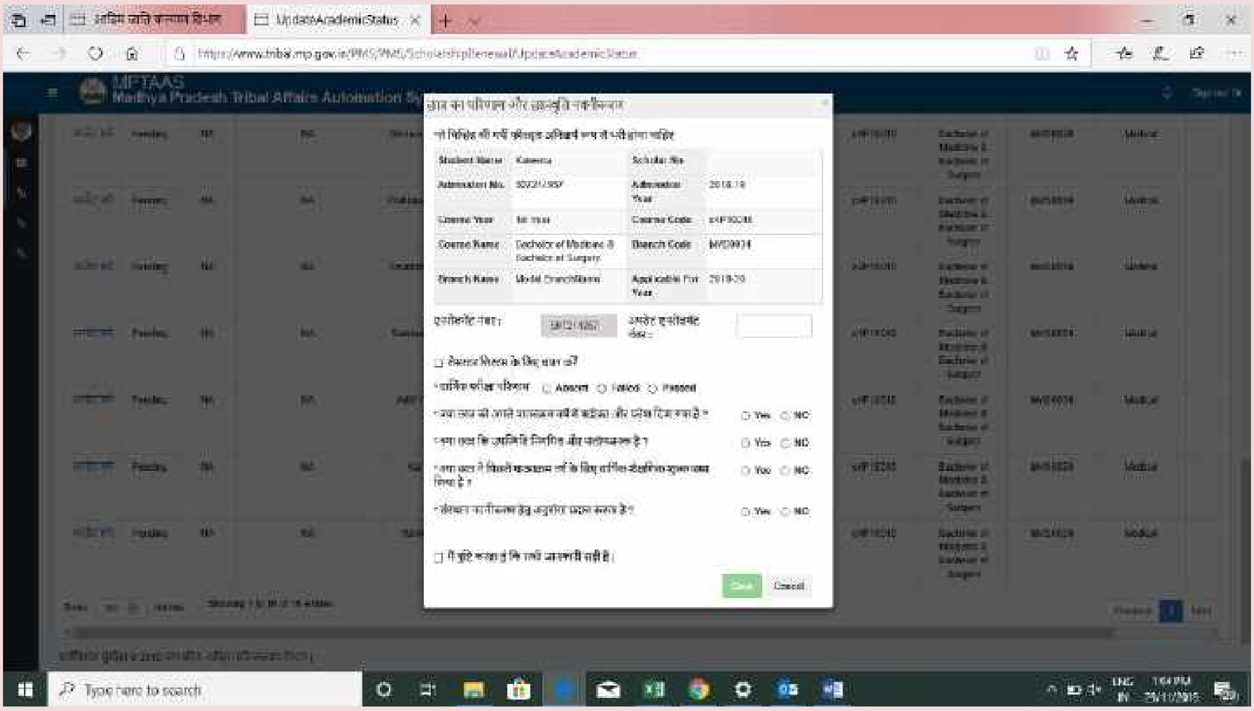

इस स्क्रीन में एडमिन छात्र की निम्नलिखित जानकारी प्रविष्ट करेगा :

- अपटेड एनरोलमेंट नंबर
- वार्षिक परीक्षा परिणाम - १. अनुपस्थित २. फ़ैल ३. पास
- □□□□□ □□ □□□□□□ percentage/cgpa □□□
- क्या छात्र को अगले पाठ्यक्रम वर्ष में प्रवेश दिया गया है या नहीं
- क्या छात्र की उपस्थिति नियमित है या नहीं
- क्या छत्र ने पाठ्यक्रम वर्ष के लिए वार्षिक शैक्षणिक शुल्क जमा किया है या नहीं
- संस्थान नवीनीकरण हेतु अनुशंसा पप्रदान करता है या नहीं :

7. इन सभी जानकारी को भरने के बाद एडमिन चेक बॉक्स में टिक करके अपनी द्वारा भरी हुई जानकारी की पुष्टि करेगा !

व "save " बटन पर क्लिक करेगा

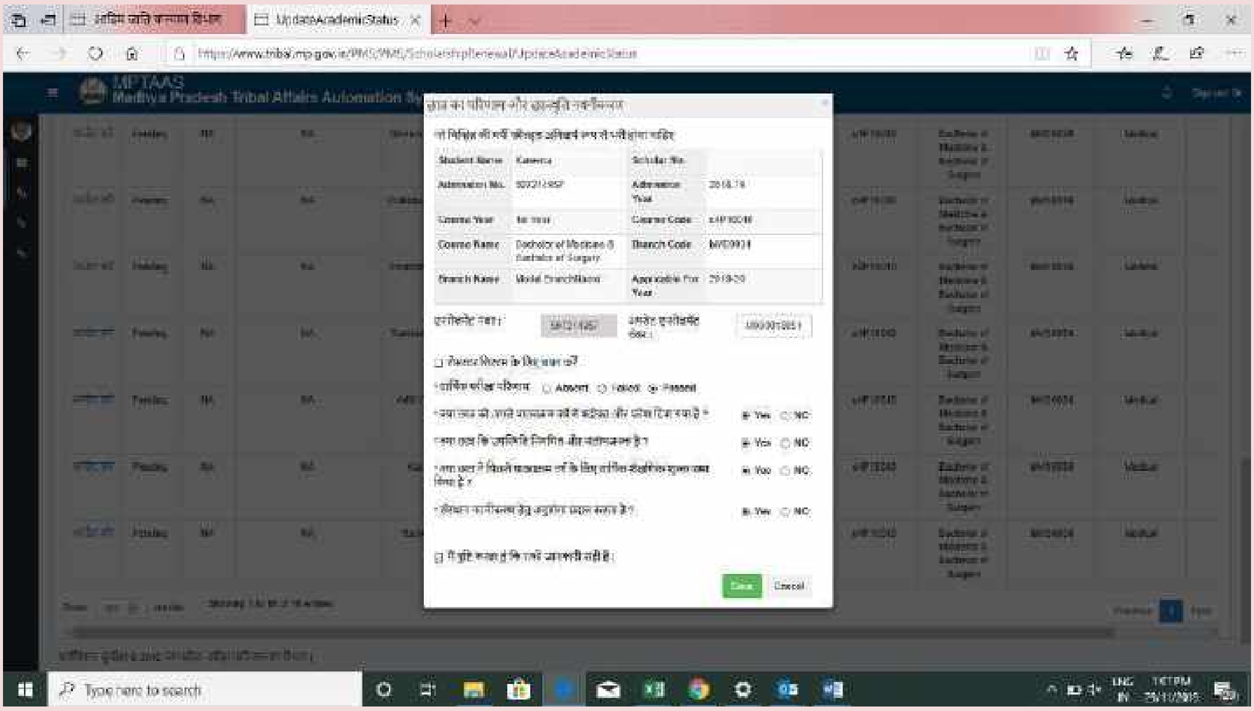

8. इस एप्लीकेशन एक विंडो मैसेज द्वारा एडमिन के एक्शन की पुष्टि करेगा जो नीचे दी हुई स्क्रीन में प्रदर्शित है :

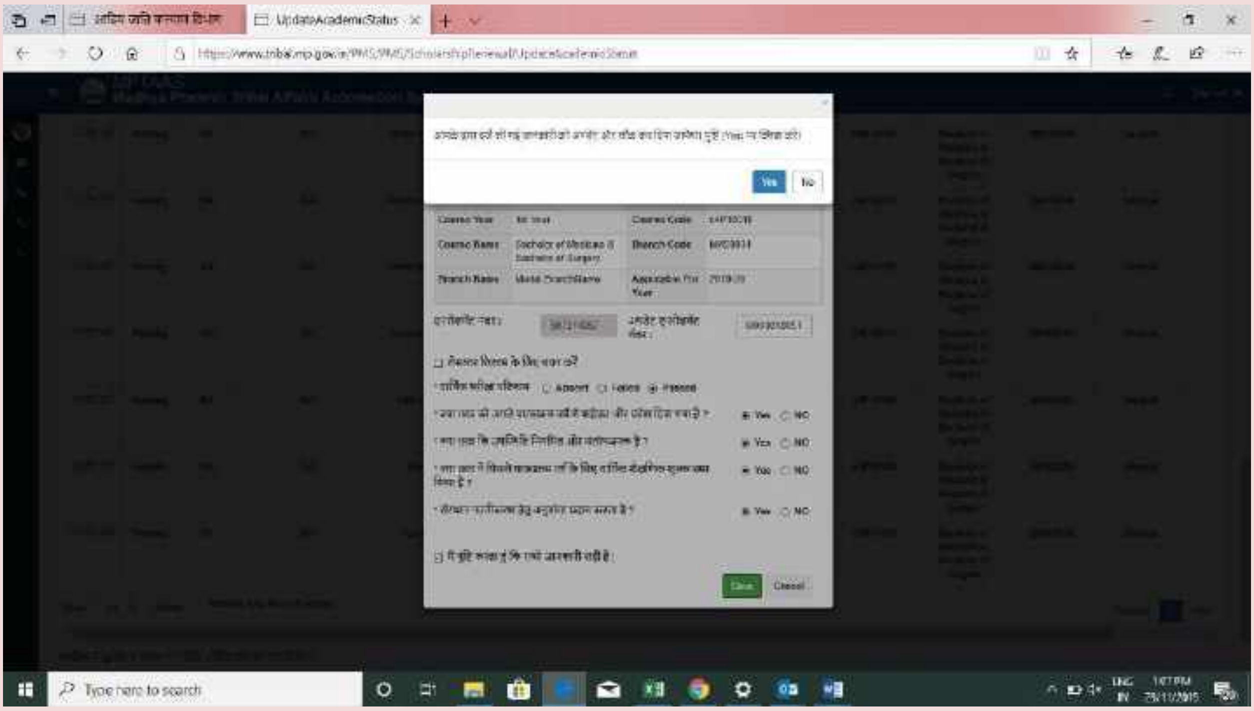

9 कॉलेज "YES " बटन पर क्लिक करके इसकी पुष्टि करेगा. कॉलेज को नीचे दी हुई स्क्रीन प्राप्त होगी

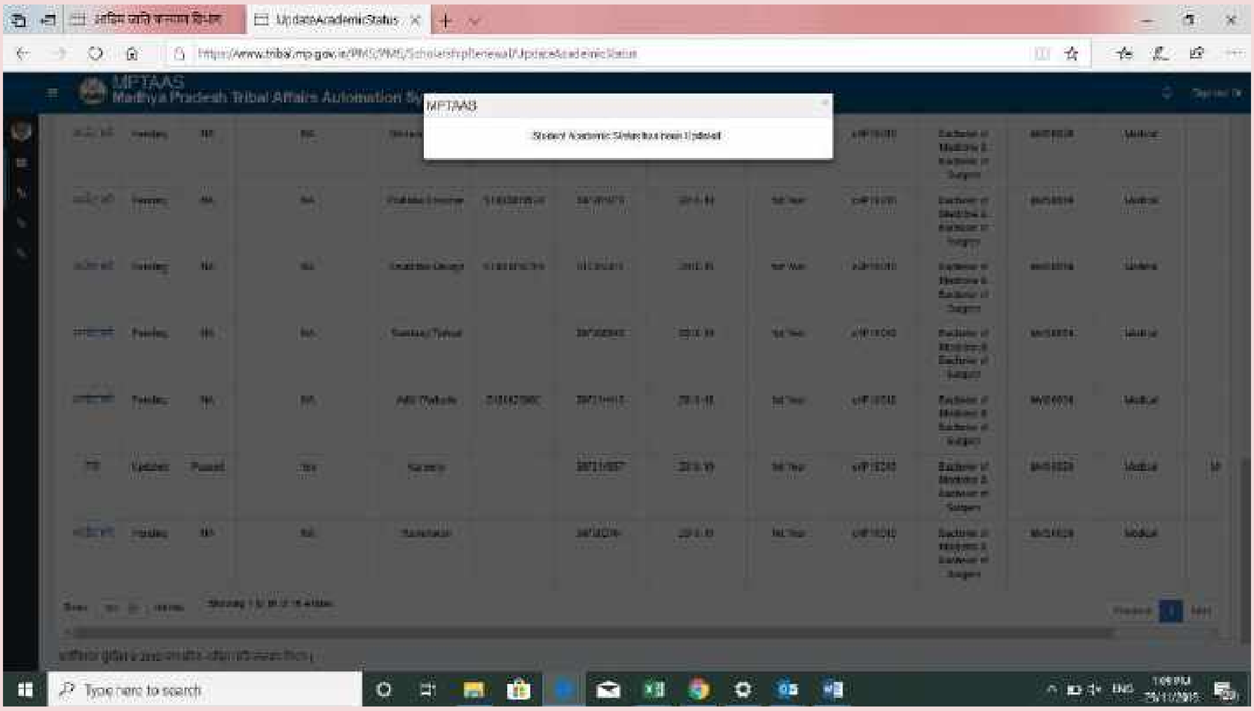

3.2 विद्यार्थी

1. विद्यार्थी कॉलेज द्वारा प्रदत्त अपने यूजरनाम ,पासवर्ड एवं कॅप्टचा कोड को एप्लीकेशन स्क्रीन में डालके लॉगिन करेगा

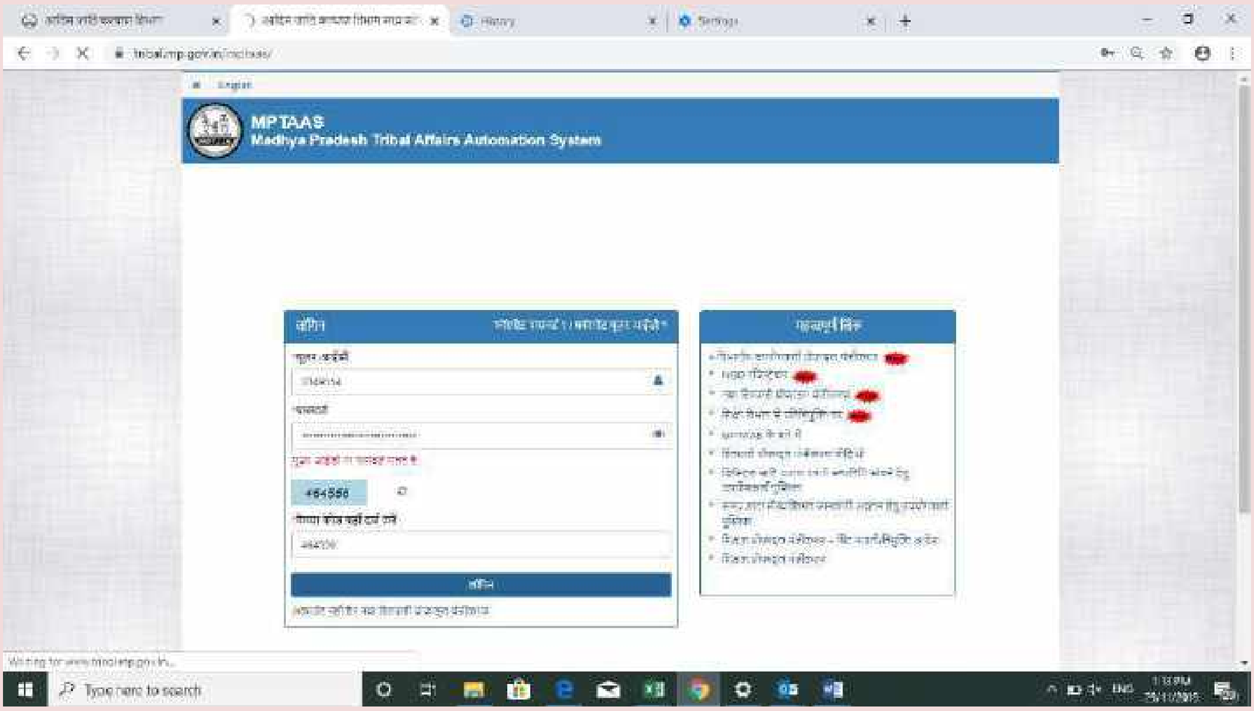

2. विद्यार्थी छात्र डैशबोर्ड नीचे दी हुई स्क्रीन में प्रदर्शित को प्राप्त करेगा

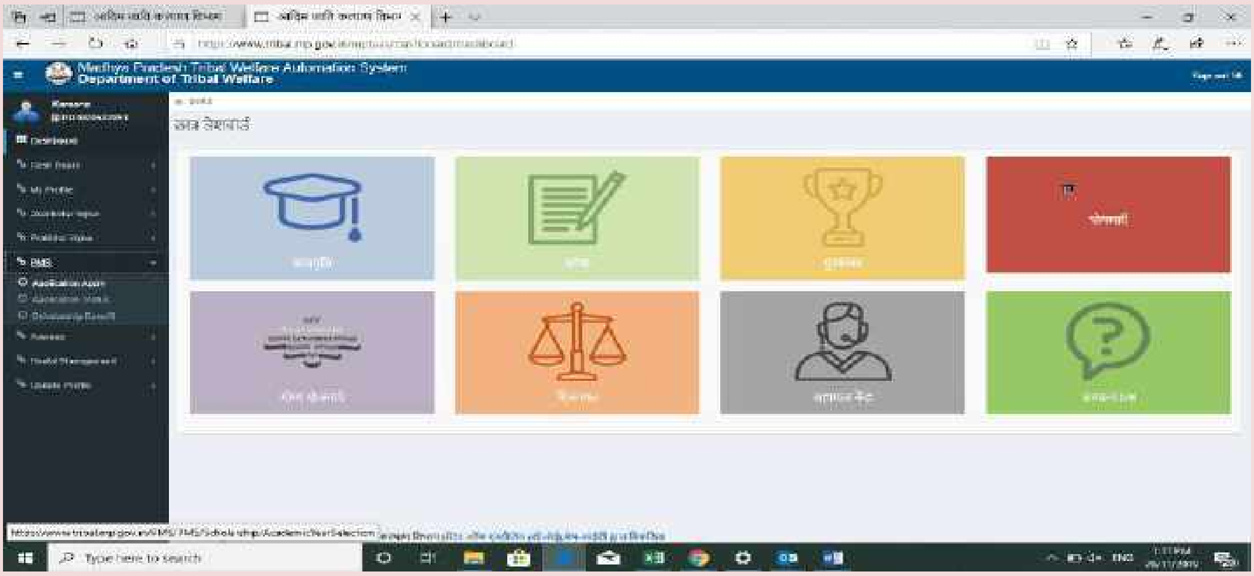

3. विद्यार्थी बाएं साइड के मेनू बार से " PMS " पर क्लिक करेगा और नीचे दी हुई स्क्रीन प्राप्त करेगा

विद्यार्थी ३ सबमेनु प्राप्त करेगा : १) "एप्लीकेशन अप्लाई " २) एप्लीकेशन स्टेटस ३) स्कालरशिप बेनिफिट

विद्यार्थी स्व्लोरशिप हेतु "एप्लीकेशन अप्लाई " पर क्लिक करेगा और छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म स्क्रीन प्राप्त करेगा जो नीचे दी हुई हे:

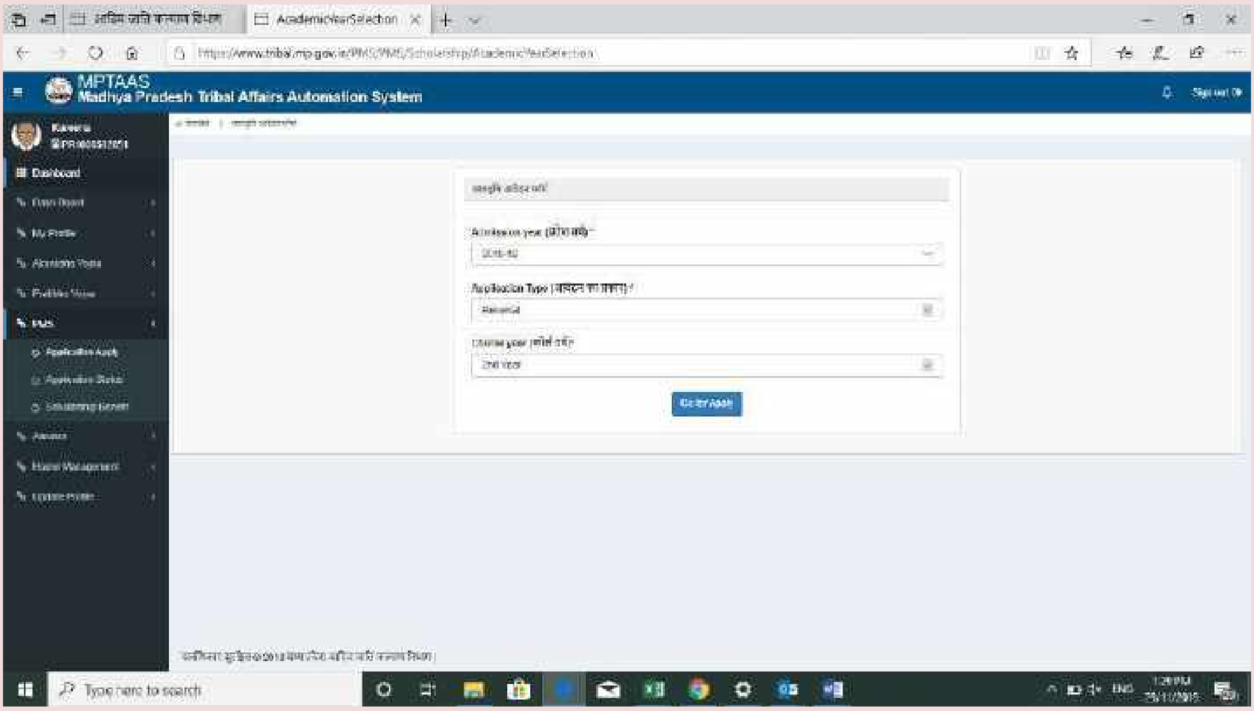

4. इसमें विद्यार्थी निम्नलिखित जानकारी भरेगा :

१) प्रवेश वर्ष

२) आवेदन का प्रकार

३) कोर्स वर्ष –(second year-□□□□□□□□ □□□□)

5. ये जानकारी भरने के बाद विसयार्थी "Go for apply " बटन पे क्लिक करेगा और नीचे दी हुई स्क्रीन प्राप्त करेगा!

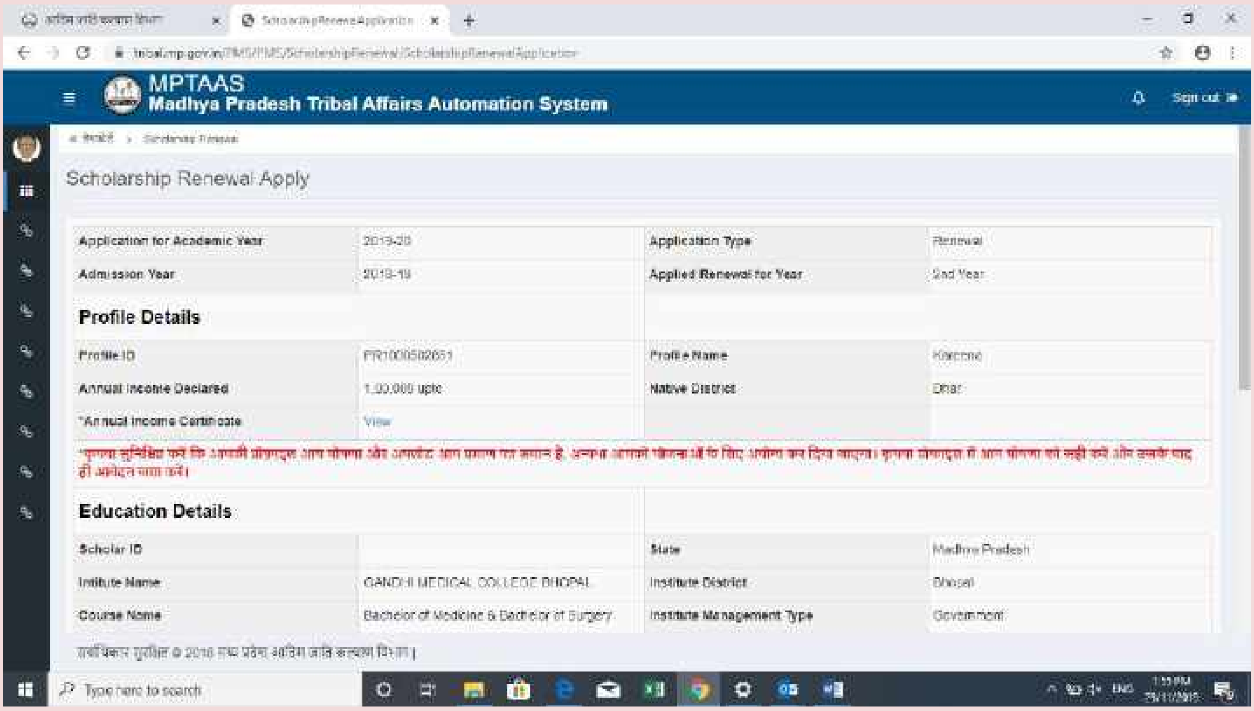

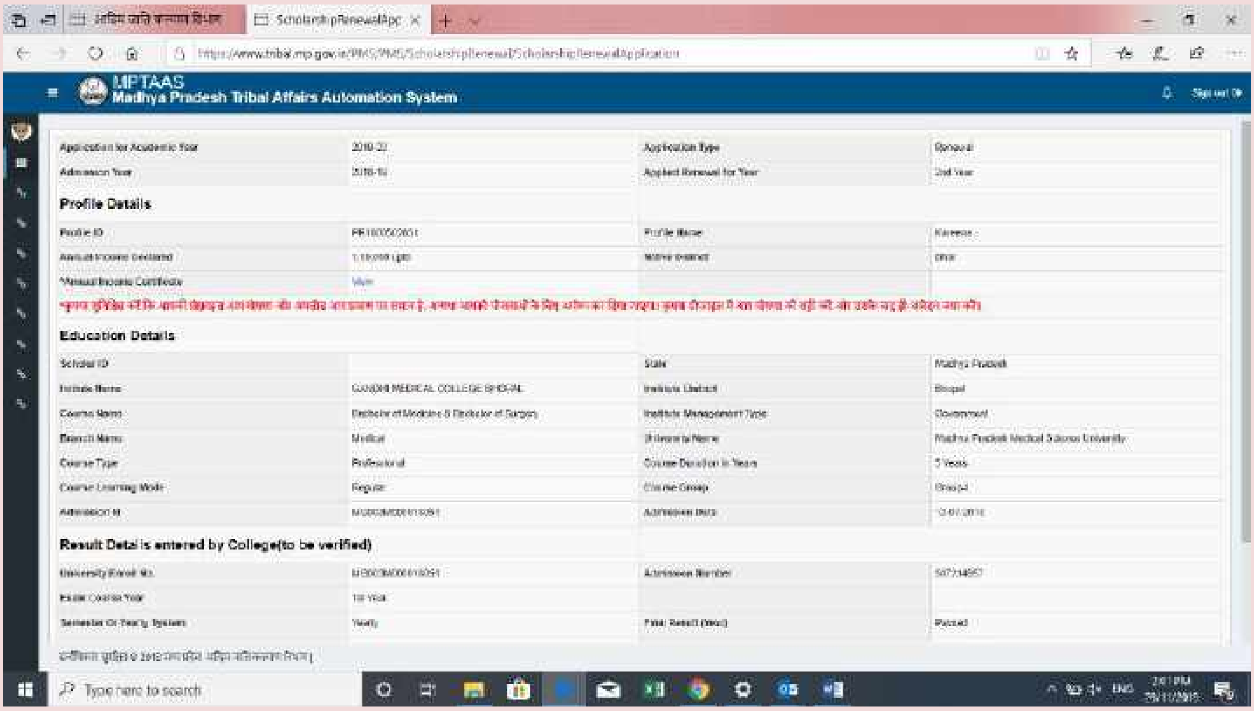

6. विद्यार्थी "Apply for renewal " बटन पे क्लिक करेगा और नीचे दी हुई स्क्रीन प्राप्त करेगा-

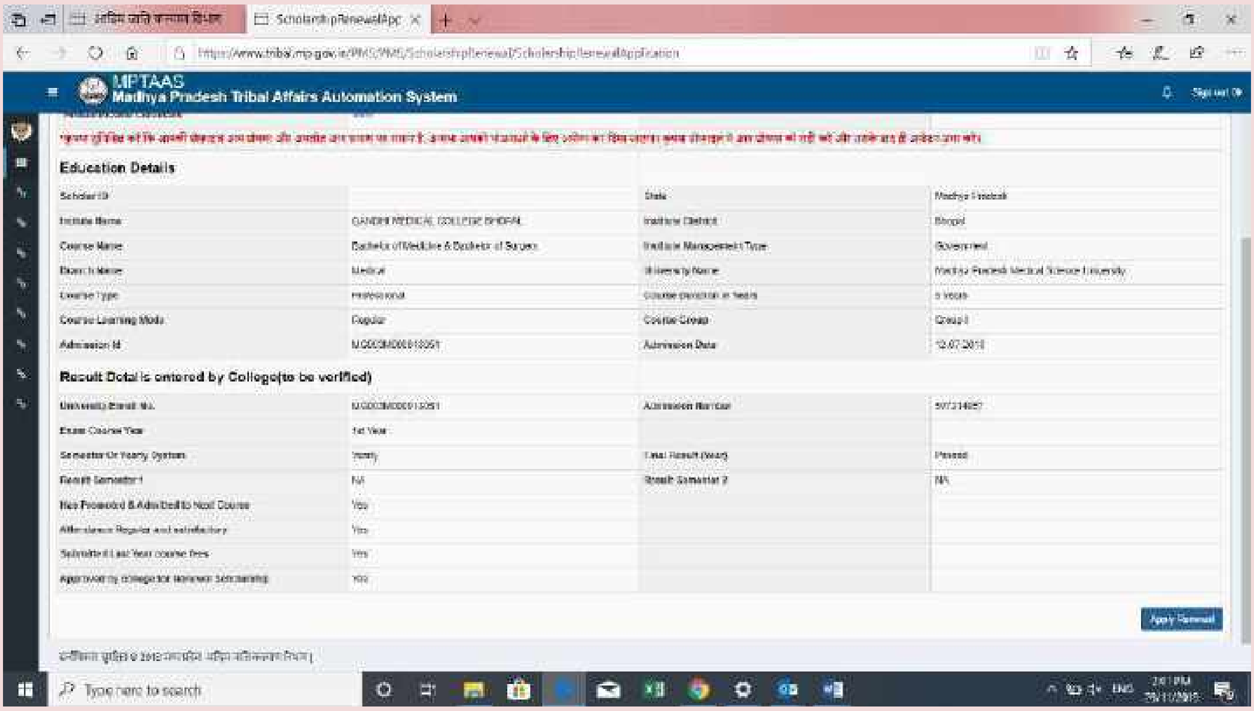

7. इस स्क्रीन पे विद्यार्थी "Yes " पर क्लिक करके अपना द्वारा दर्ज की हुई जानकारी को सेव करेगा!

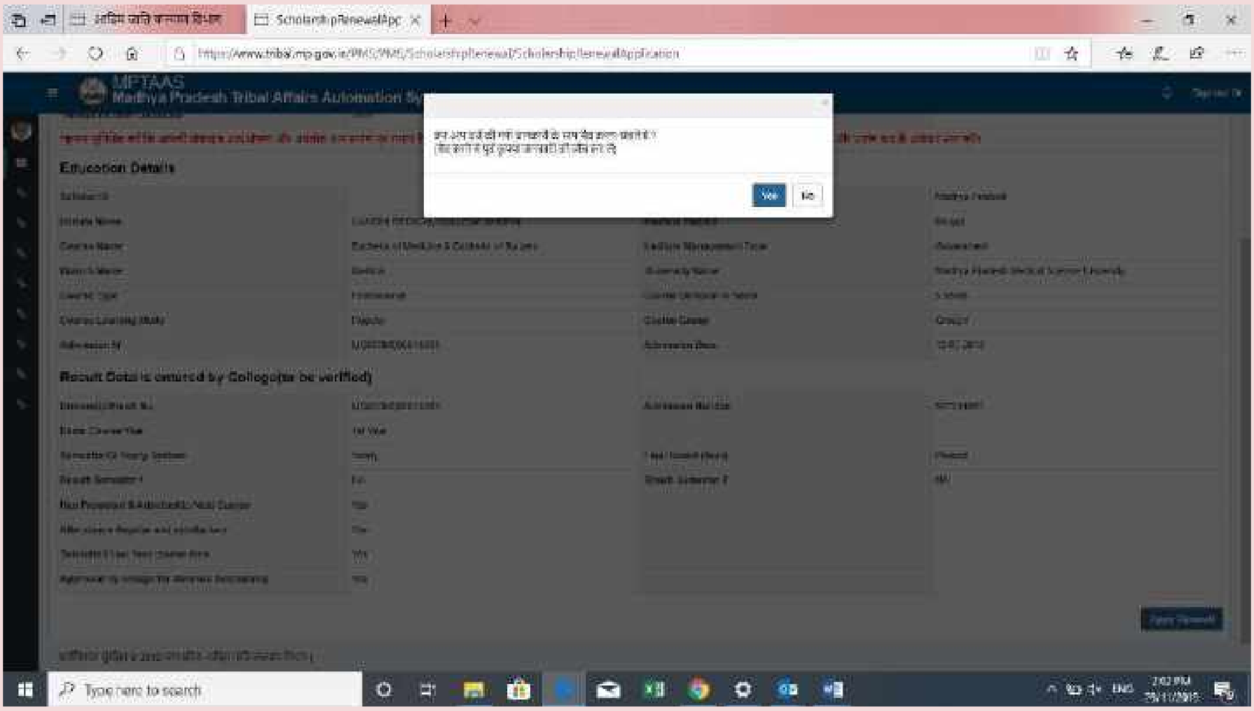

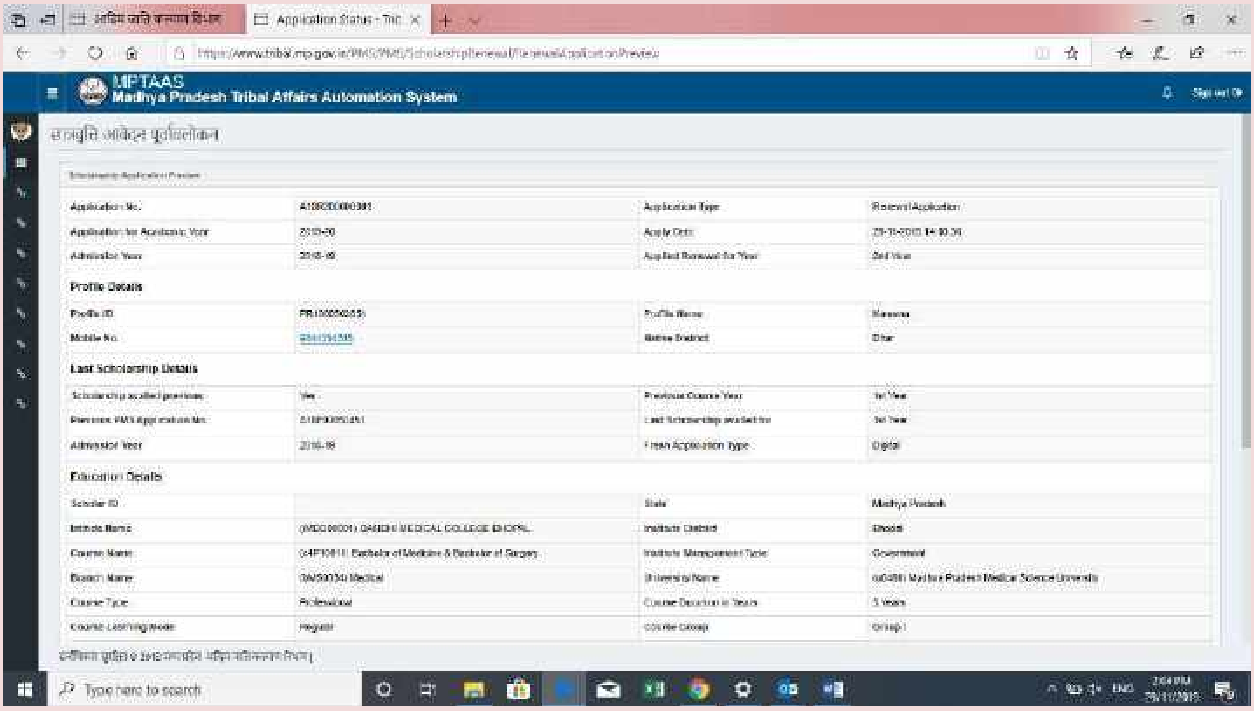

8. इस स्क्रीन में विद्यार्थी "घोषणा " चेक बॉक्स पर टिक करके अपने द्वारा दी हुई सभी जानकारी को घोषित करेगा और "सबमिट" बटन पे क्लिक करेगा

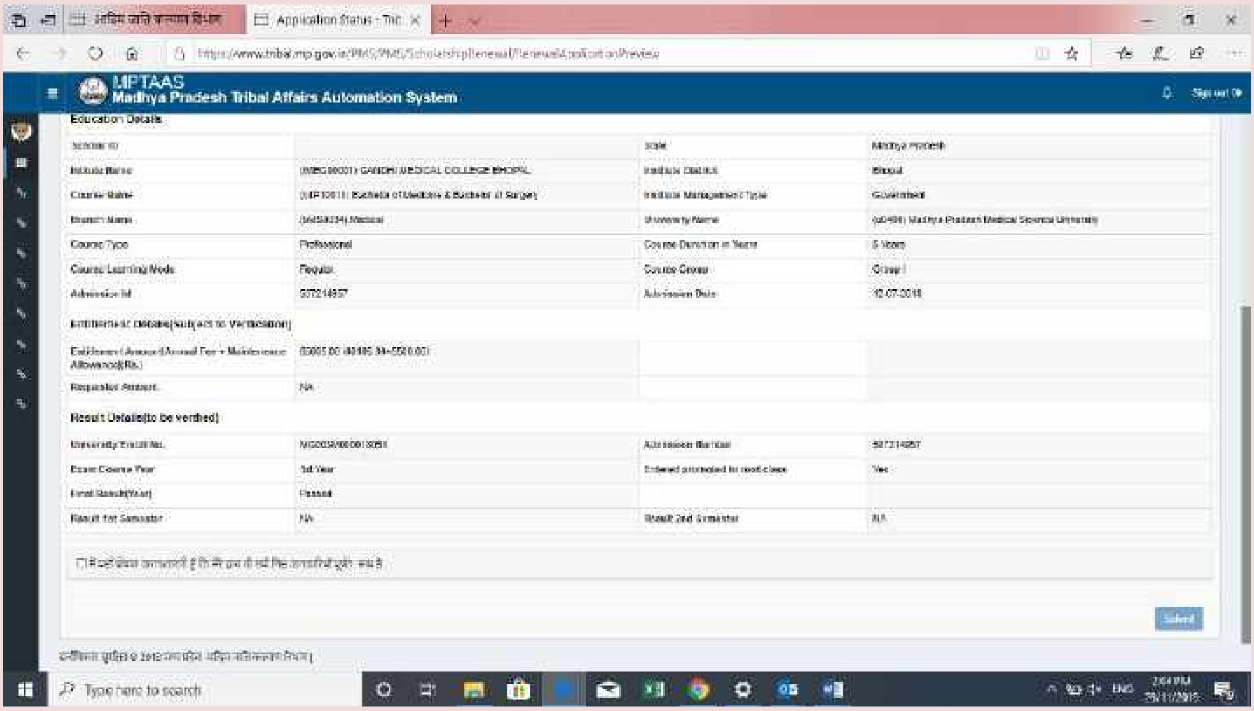

9. एप्लीकेशन द्वारा पुष्टिकरण मैसेज विंडो पर "Yes " क्लिक करके विद्यार्थी स्कालरशिप के आवेदन को पूर्ण करेगा

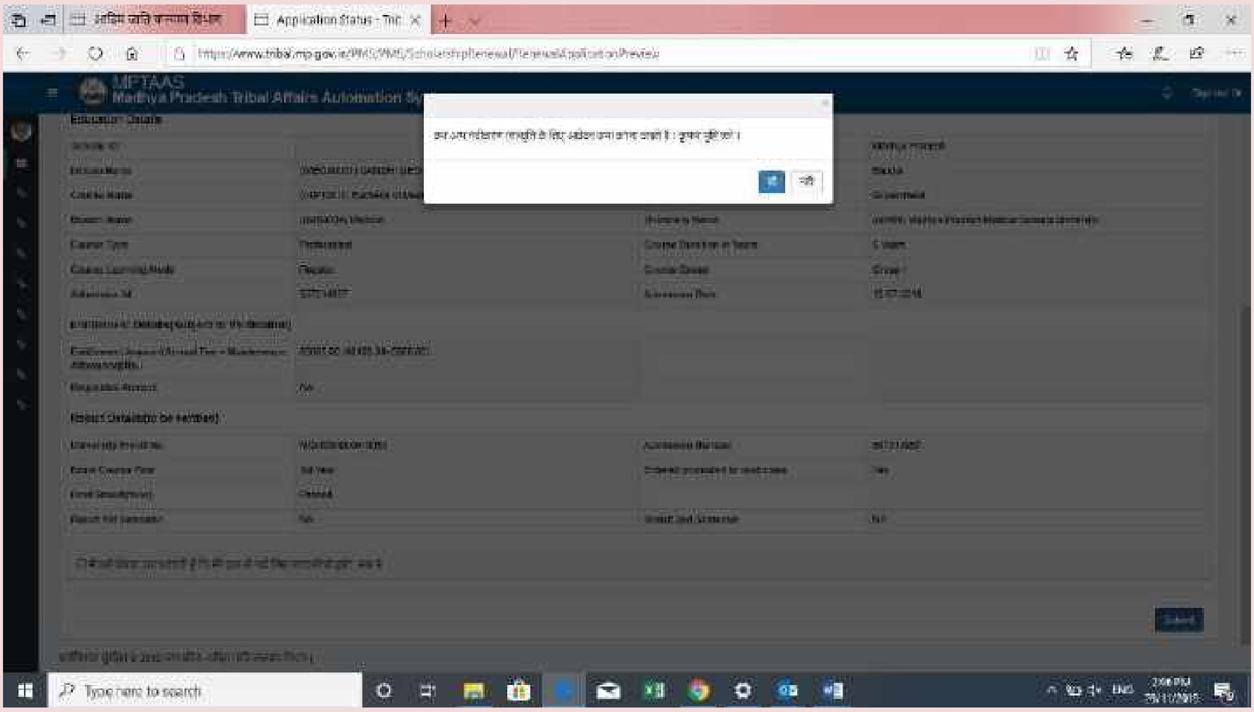

10.इसके बाद एप्लीकेशन विंडो मैसेज द्वारा विद्यार्थी को उसके आवेदन के लिए आवेदन क्रमांक देगा ताकि भविष्य में विद्यार्थी आवेदन की स्थिति का पता लगा पाए !

11. विद्यार्थी PMS के अन्य लाभ हेतु यदि पत्र हे तो वो एप्लीकेशन द्वारा दिए ,आगे बड सकेगा!

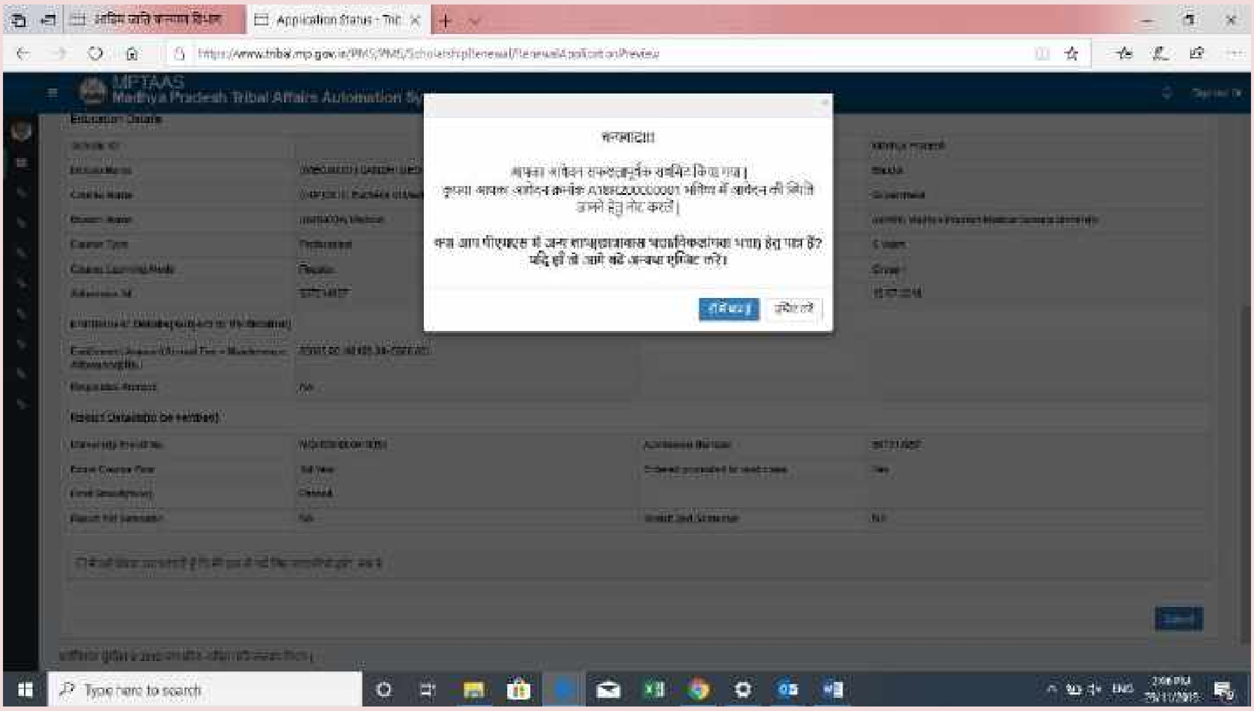

विद्यार्थी आवेदन की स्थिति

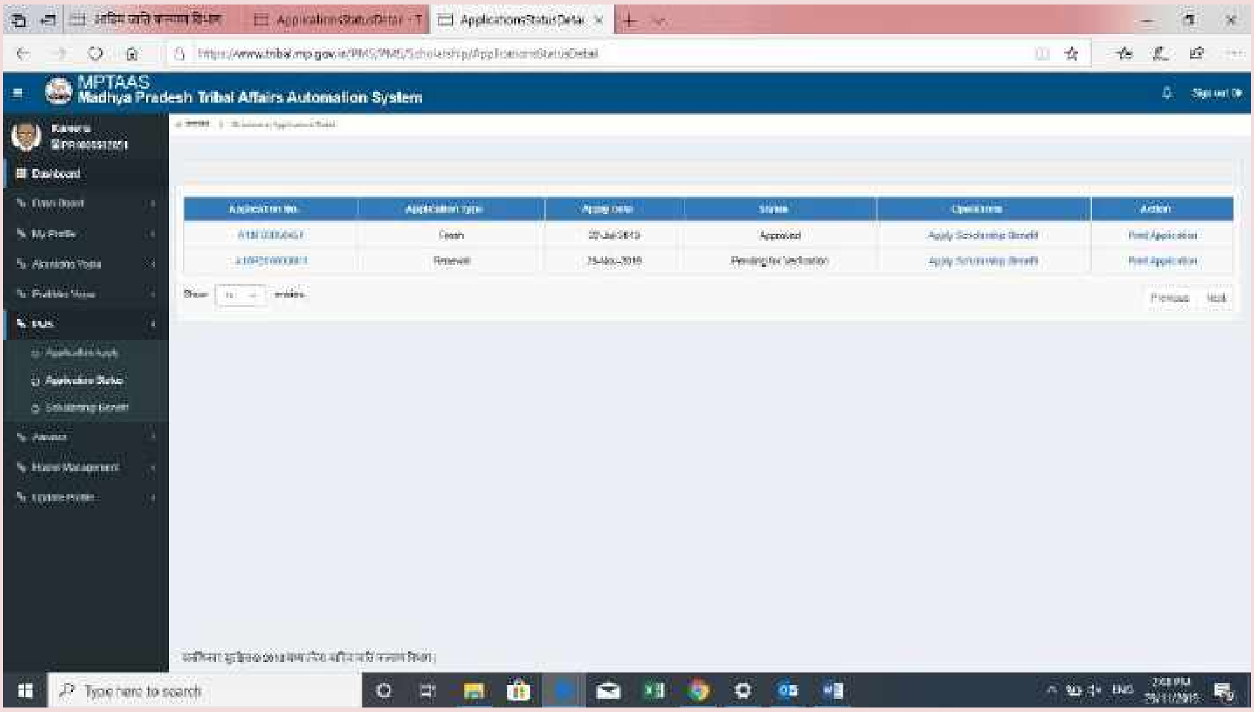

3.3 नोडल ऑफिस एडमिन

1. नोडल ऑफिस एडमिन अपने यूजरनाम और पासवर्ड से एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा
2. नोडल ऑफिस एडमिन अपने डैशबोर्ड स्क्रीन में बाये तरफ दिए गए "Verification " मेनू पे क्लिक करेगा और "PMS verification " को क्लिक करेगा जिससे उसे नीचे दी हुई स्क्रीन प्राप्त होगी :

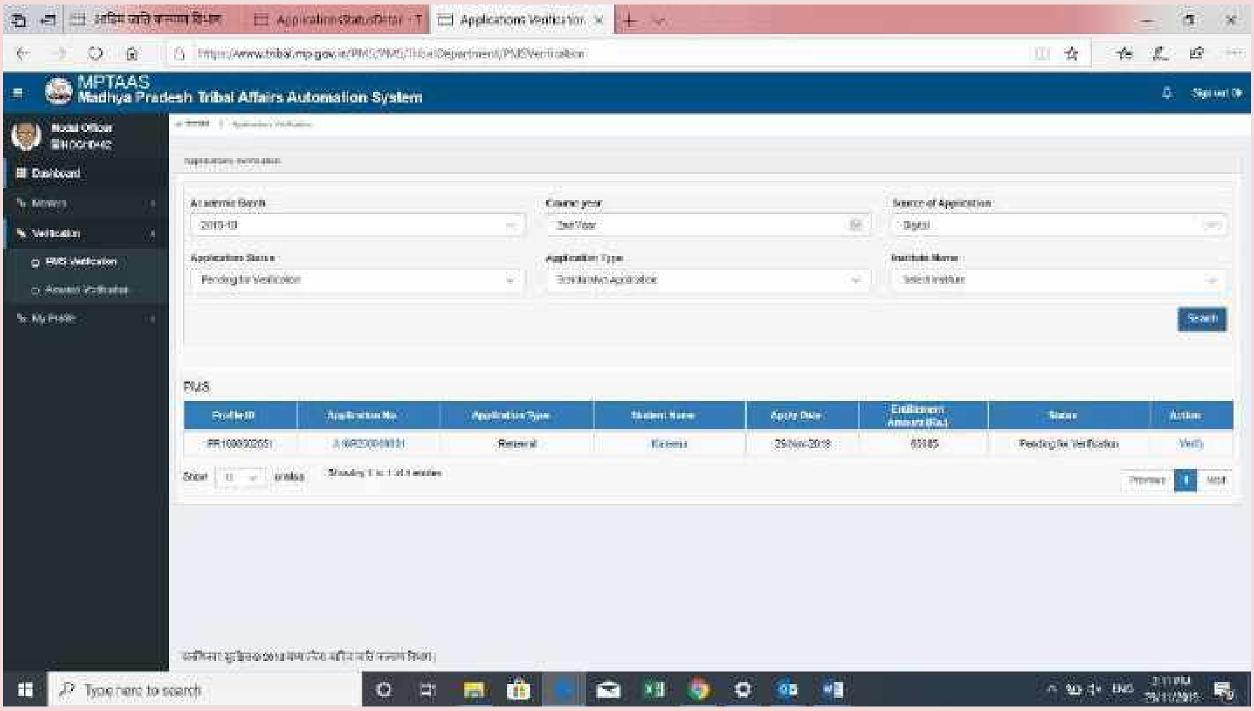

3. इस स्क्रीन में वो निम्लिखित फ़ील्ड्स की जानकारी भरके रिकार्ड्स सर्च करेगा

- academic बैच
- कोर्स वर्ष
- source of application
- अवदान की स्तिथि
- आवेदन का प्रकार
- संसथान का नाम

4. इनको दर्ज करने के बाद एडमिन search बटन पे क्लिक करेगा

5. एडमिन उन रिकॉर्ड को पायेगा जिसमे विद्यार्थी द्वारा PMS आवेदन की स्तिथि "verify " करने के लिए अपूर्ण हे

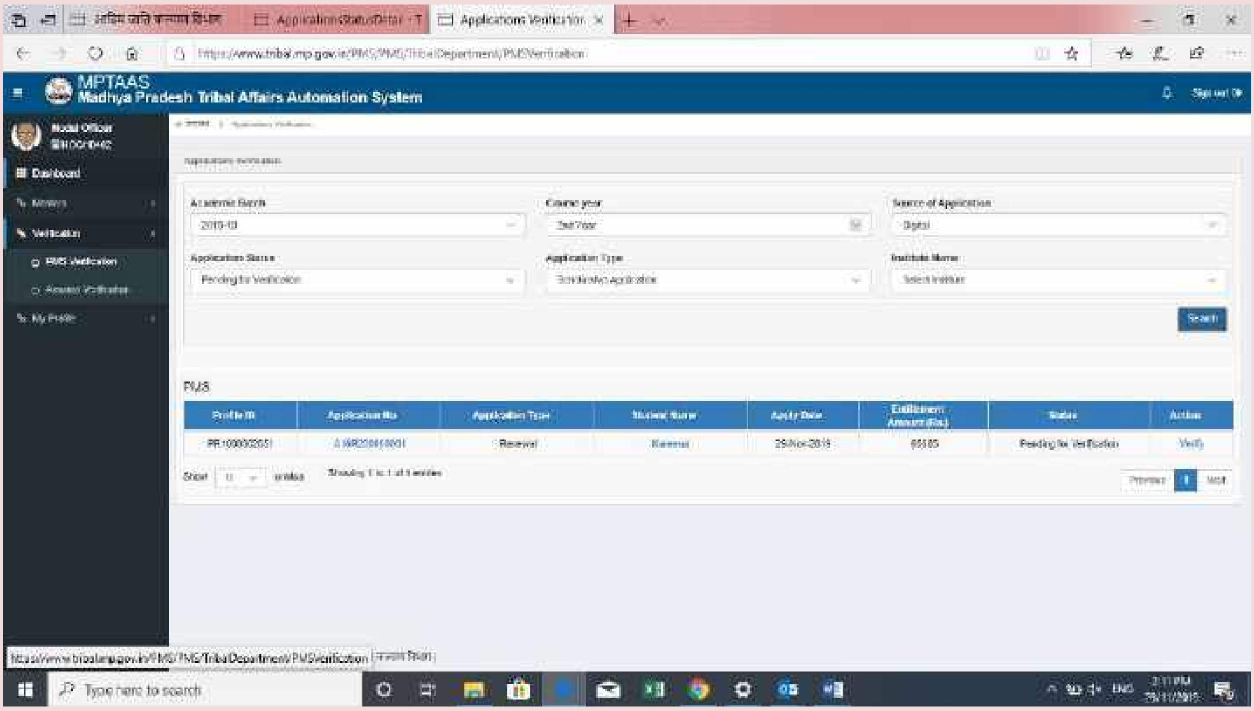

6. एडमिन वेरीफाई लिंक पे क्लिक करेगा और आवेदन को वेरीफाई करे सकेगा!

<u>कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश</u>
<u>सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004</u>

क्रमांकः 401 / 122 / आउशि / शा–5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2020

प्रति,

जिला कलेक्टर,
समस्त जिला मध्यप्रदेश।

विषय– कोविड–19 के संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में सहयोग बाबत्।

संदर्भ– (1) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 311 / 67 / 2020 / 38 / सीसी, भोपाल दिनांक 28.05.2020
(2) कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन,भोपाल का पत्र कमांक 393 / 118 / आउशि / शा. 5 'अ' / 2020, भोपाल,दिनांक 01.06.2020।
(3) माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.06.2020

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित निर्देशों तथा माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.06.2020 के परिपालन में दिनांक 29 जून से आरम्भ होकर 31 जुलाई 2020 तक विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संचालन हेतु महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों पर कोविड–19 की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था के साथ आयोजित किये जाने के निर्देश है।

1. जिले के क्षेत्राधिकार में यदि किसी परीक्षा केन्द्र को कोविड–19 हेतु क्वारेंटिन सेंटर बनाया गया है और यदि ऐसे भवनों को परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाना संभव न हो तो किसी अन्य भवन को परीक्षा केन्द्र हेतु चिन्हित कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. परीक्षा संचालन के दौरान प्रतिदिन प्रत्येक पाली की परीक्षा समाप्ति के पश्चात् सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्र को सेनेटाईज किया जाना है। अतः स्थानीय स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका आदि के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था कर सहयोग अपेक्षित है।

3. परीक्षा केन्द्र पर कोविड–19 हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) का पालन सुनिश्चित कराने एवं परीक्षा केन्द्र पर अनावश्यक रूप से छात्रों के समूह एकत्रित न हो इस हेतु स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग अपेक्षित होगा।

4. परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालय द्वारा तत्काल चिकित्सक, एम्बुलेन्स आदि सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा अधिकारी से सहयोग अपेक्षित होगा।

अतः उपरोक्तानुसार स्थानीय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सहयोग अपेक्षित है।

(मुकेश शुक्ल)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांकः 402 / 122 / आउशि / शा–5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2020

प्रतिलिपि–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
4. निज सहायक, संभाग आयुक्त समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
6. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, भोपाल।
7. प्राचार्य, समस्त शास. / स्वशासी / अनु. प्राप्त अशा. / अशा. महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
8. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आई.टी.सेल) उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल—462004

क्रमांकः 351 /118/आउशि/शा—5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 01/06/2020

प्रति,

1. कुलसचिव,समस्त विश्वविद्यालय,म.प्र.
2. प्राचार्य, समस्त शास./ अनु.प्राप्त अशास./आशासकीय महावि. म.प्र.

विषयः विश्वविद्यालयीन परीक्षा के संदर्भ में छात्र—छात्राओं की जानकारी उपलब्ध कराने विषयक ।

संदर्भः—1. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 311/67/2020/38/सी.सी. भोपाल दिनांक 28/05/2020

2. प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग की जूम विडियो कॉन्फ्रेसिंग दिनांक 02/05/20

—0—

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जारी निर्देशो के तारतम्य में सत्र 2019—20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षा में शामिल हो रहे स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों की यथास्थिति (लोकेशन) से अवगत होने के लिए अंकित की गई लिंक **"लॉकडाउन में परीक्षार्थियों के वर्तमान निवास की स्थिति" (दिनांक 29.06.2020 की स्थिति में)** के माध्यम से परीक्षार्थियों द्वारा दिनांक 08.06.2020 तक जानकारी अद्यतन किया जाना है।

2. स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त नियमित तथा अमहाविद्यालयीन (प्रायवेट) परीक्षार्थियों को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा **एस.एम.एस.** प्रेषित किया जा रहा है।

3. स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त के परीक्षार्थियों हेतु जारी लिंक उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल, ई—प्रवेश पोर्टल तथा समस्त विश्वविद्यालयों के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

तद्नुसार समस्त परीक्षार्थियों को संबंधित जानकारी अवगत कराना सुनिश्चित् करेंगे।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित.)

01/06/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक 352 /118/आउशि/शा.5'अ'/2020 भोपाल दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपिः—

1. निज सहायक,प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल(म.प्र.)
2. निज सहायक,आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल मध्यप्रदेश ।
3. निज सहायक कुलपति,समस्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश ।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश ।
5. कार्यपालक अधिकारी, एम पी ऑनलाईन कार्यालय, डी. बी. मॉल, भोपाल।
6. वि.क.अ.उच्च शिक्षा (आई.टी.सेल.) भोपाल की ओर विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

———की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

IQAC Coordinator

प्राचार्य
शासकीय स्नातक महाविद्यालय
शहपुरा जिला डिण्डौरी(म.प्र.)